उन्नति विचार

वर्ष : 11 अंक : 4 अक्टूबर-दिसंबर, 2006

## अनुक्रम

**संपादकीय** 1

**विकास विचार** 2
जेंडर संवेदनशील बजट: महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन

**आपके लिए**
- पंचायत में जेंडर: संवेदनशील बजट 14
- भारत में जेंडर संवेदनशील बजट 16

**अपनी बात** 19
जेंडर संवेदनशील बजट व विश्लेषण: गुजरात के अनुभव

**गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम** 22

**अपने बारे में** 29

**संपादकीय टीम :**
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

**केवल सीमित वितरण के लिए**

## संपादकीय

### स्थानीय स्तर पर जेंडर संवेदनशील बजट

प्रारंभ में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे समाज के बुद्विजीवियों तथा विभिन्न हितधारकों में 'जेंडर' या 'सामाजिक लिंग' शब्द की समझ काफी सीमित है, अतः यह अपेक्षा करना कि जेंडर संवेदनशील बजट से हमें स्थिति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देने वाला कोई प्रतिभाव मिलेगा, चंद्रमा को पा लेने की इच्छा समान होगा। उदाहरणतः 'जेंडर' शब्द का केवल महिलाओं से ही जुड़ाव नहीं है बल्कि इसमें वर्णित सामाजिक वातावरण के पुरुषों, लड़कों तथा लड़कियों को भी समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। सदियों से पितृ सत्तात्मक मूल्यों के कारण महिलाओं की स्थिति अधीन होती चली आ रही है। जैसे-जैसे समाज का ढांचा आर्थिक वातावरण के आधार पर परिभाषित होने लगा और रखरखाव की अर्थव्यवस्था (केयर इकोनमी) की अवलेहना की गई (अर्थात् घरेलू तथा सामाजिक गतिवधियां जो मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं परंतु जिनके लिए कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता है)। देशों के बीच असमानताएं तथा महिलाओं व पुरुषों के बीच असमानताएं बढ़ने लगीं। जाति, वर्ग, वंश, धर्म आदि पर आधारित अंतर के साथ-साथ आज हमारे समाज की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें समानता और निष्पक्षता प्रदान करने के लिए काफी संघर्ष करना होगा। इन सबसे लोग विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हो गए हैं। महिलाएं भी इसी तरह एक भिन्न श्रेणी में विभाजित हो चली हैं और इतनी वंचित एवं असुरक्षित हो गई हैं कि विकास की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए अब विशेष प्रयास करने होंगे।

स्वतंत्रता के बाद, सरकार और अन्य विकासोन्मुख संस्थाओं द्वारा हमारे देश में महिलाओं का दर्जा ऊंचा करने और महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव की खाई को कम करने के प्रयास शुरू हुए हैं। महिला-पुरुष समता स्थापित करने की प्रक्रिया को सुलभ के लिए कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन सब का प्रभाव जांचने के अलावा यह भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है कि पंचायत, नगर, जिला, राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिलाओं व पुरुषों के लिए बजट का आंबटन किस प्रकार किया गया और वास्तविक खर्च कितना किया गया।

**शेष पृष्ठ 31 पर**

**आवास में पहुँच: एक तकनीकी मुद्दा या मानसिकता?** के बारे में एक परिशिष्ट शामिल है।

# जेंडर संवेदनशील बजटः महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन

बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है। उसका विश्लेषण महिला उन्मुखी ध्येयों के संदर्भ में जिसलिए होना चाहिए उसकी चर्चा जेंडर संवेदनशील बजट (जेन्डर बजटिंग) की विभावना, उसके संसाधनों व महिलाओं की उसमें सहभागिता के संदर्भ में यहां की गई है। इस लेख में शासन तथा विकास के संदर्भ में जेंडर संवेदनशील बजट की सामाजिक जरूरत की चर्चा की गई है तथा दुनिया भर में इस बारे में प्रकट किए विविध विचारों और व्यवहारों की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर तथा स्थानीय स्तर पर हुए प्रयासों व चर्चाओं से स्थापित समझ इसमें व्यक्त होती है।

## प्रस्तावना

जेंडर संवदेनशील बजट को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। समाज में महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार और उससे पैदा होते महिलाओं-पुरुषों के सामाजिक-आर्थिक विकास में अंतर की स्थिति को ध्यान में लें, तो जेंडर संवेदनशील बजट की समग्र व्यवस्था महिलाओं को मुख्य प्रवाह में लाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अर्थ में देखें, तो महिलाओं को विकास के मुख्य प्रवाह में लाने की समग्र प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बजट की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राज्य की भूमिका का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां ध्यान में लेना है। राज्य एक सामाजिक संस्था के रूप में अस्तित्व रखता है। समाज के आर्थिक विकास की जिस तरह आवश्यकता है, उसी तरह विकास में महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव तथा अंतर दूर करने के लिए राज्य को भूमिका निभानी होती है। उसकी वित्तीय क्षमता होती है तथा इसीलिए वह मांग एवं आपूर्ति के आधार पर काम करती है। राज्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसीलिए सामाजिक व आर्थिक विकास का हर संभव समान आवंटन हो, इसके लिए उसे अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। राज्य जब अपने दायित्व निभाता है, तब उन दायित्वों का प्रतिबिंब बजट में पड़ता है। हर वर्ष सरकार कहां से कितनी आय प्राप्त करती है और उस आय को कहां कितना खर्च किया जाना है, उसके अनुमान दर्शाता बजट एक वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है। वह विविध क्षेत्रों में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जो करना चाहती है, उसका चित्र दर्शाता है और सरकार के विकास के इरादे दर्शाता है। इससे महिला-पुरुष भेदभाव और विकास के अंतरों के बारे में सरकार जो करना चाहती है वह जानने को मिलता है। इसी से सरकार के प्रत्येक स्तर के बजट को समझना इस दृष्टि से उपयोगी हो जाता है।

साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक विकास के मामलों में तथा पानी, सफाई, बिजली, सड़क जैसी भौतिक ढांचागत सुविधाओं के बारे में विकास के लिए सरकार जो कुछ खर्च करती है, उसका असर महिलाओं पर हुए बिना नहीं रहता। कुछ खर्च तो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हैं। इन दोनों प्रकार के खर्च को समाज की आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में परखना महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने के कार्य के संदर्भ में जरूरी हो जाता है। इसीलिए जेंडर संवेदनशील बजट की विशिष्ट भूमिका है।

जेंडर संवेदनशील बजट इस अर्थ में देखें, तो सरकारों के बजट की छानबीन है। वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों को सामाजिक-आर्थिक भेदभाव और अंतरों को दूर करने के संदर्भ में मजबूत करना चाहता है, जिससे महिलाओं की स्थिति सुधारने का ध्येय पूरा हो सके। इसमें मात्र महिलाओं के लिए संसाधनों का कितना आवंटन हुआ  ऐसे संसाधनों में खर्च कितना हुआ, उसके क्या प्रभाव हुए तथा लाभ कितनों को मिला जैसे मामलों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

हमारे समाज के निःसहाय वर्गों में महिलाओं का समावेश होता है।

## जेंडर संवेदनशील बजट

महिला-पुरुष समानता सिद्ध करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि केन्द्र, राज्य व स्थानीय प्रशासनों के बजटों में संसाधनों के आवंटन तथा उस पर होने वाला खर्च कितना है। इसके लिए निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- पद्धति व्यवस्थित करना, मानकीकरण करना तथा उसके लिए संसाधन विकसित करना।
- रुझान का विश्लेषण
- विविध सेवाओं के लिए होने वाले आवंटन में प्राथमिकता में फेरबदल।
- संसाधनों के आवंटन में फेरबदल तथा वास्तविक खर्च।

केन्द्र व राज्य सरकारों के राजकोषीय, वित्त और व्यापार नीतियों का जेंडर संवेदनशील अन्वेषण करना जरूरी है। इसके लिए निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- ऋण नीति, कर जैसी समग्र अर्थतंत्रोन्मुखी नीतियों के मार्गदर्शन के लिए शोध व अभ्यास।
- नीतियों व हस्तक्षेपों के महिलाओं पर प्रभाव। कई बार ऐसा माना जाता है कि कुछ नीतियों के प्रभाव तो महिलाओं पर पड़ेंगे ही नहीं, परंतु वास्तव में प्रभाव पड़ते हैं।
- महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने के लिए स्थानीय व लघु स्तरीय अध्ययन।

इसके अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बजटों की विविध और महिला उन्मुखी योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- जितना लाभ हुआ उसे जांचने के लिए अध्ययन।
- सेवाओं की पूर्ति पर होने वाले खर्च का विश्लेषण।

महिलाओं की स्थिति पर होने वाले कार्यक्रमों, रणनीतियों, हस्तक्षेपों तथा नीतियों के प्रभावों के दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करने के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले विविध हस्तक्षेप क्या हैं, उनका विश्लेषण करना। उन्हें मातृत्व मृत्यु दर जैसे निर्देशांकों के साथ जोड़ना तथा तदनुसार योजना या दृष्टिकोण में सुधार करना।

महिला संवेदनशील सूचना एकत्र करने के लिए ये मुद्दे ध्यान में रखने योग्य हैं:

- अमलकर्ता संस्थाओं से प्रतिभाव प्राप्त करने के लिए एम.आई.एस. विकसित करना।
- एन.एस.ओ. तथा सी.एस.ओ आदि द्वारा होने वाले सर्वेक्षण और जनगणना में सूचना एकत्रीकरण में नए मानदंड शामिल करना।

क्षमतावर्धन के लिए तथा विचार-विमर्श के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- श्रेष्ठ उदाहरणों के बारे में अनुसंधान और आदान-प्रदान।
- सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए पद्धतियां व संसाधन विकसित करना।
- विशेषज्ञों व हितैषियों के बीच विचार-विनिमय।

अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों ने यह स्थिति पैदा करने में भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहभागिता जैसे मामलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई समाजों व प्रदेशों में पिछड़ गई हैं। गरीबी व बेरोजगारी के विपरीत प्रभाव भी महिलाओं पर विशेष रूप से होते हैं। अतः जिस तरह आयोजन में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए, वैसे आयोजन को पूर्ण करने में होने वाले बजटीय खर्च में भी उन्हें प्राथमिकता देना जरूरी है। तभी जन सेवाओं की प्राप्ति के अवरोधों से महिलाओं को बचाया जा सकेगा।

इस संदर्भ में निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

१. बजट सरकार का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि वित्त के बिना सरकार कोई भी नीति लागू नहीं कर सकती।
२. जेंडर संवेदनशील बजट इस बात का ध्यान रखता है कि विविध सामाजिक समूहों की व्यक्तियों के हित बने रहें।

विशेषकर इसमें महिलाओं व लड़कियों के हितों की रक्षा पर खर्च होता है।

३. बजट को जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि सार्वजनिक धन का एकत्रीकरण तथा वितरण जितने असमान तरीके से और अकार्यक्षम रूप से होता है, उसकी जांच हो। फिर, उसका विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय विकास को भेदभाव और अंतर किस तरह प्रभावित करते हैं।

४. नागरिकों द्वारा बजट का विश्लेषण किया जाए तो वे नीति-निर्धारण में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वे राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और सरकार पर कुछ बातों को लेकर दबाव डालने में सफल होते हैं।

५. कई बार भ्रष्टाचार-विरोधी रणनीतियों के लिए जेंडर संवेदनशील बजट पूरक भी बनता है।

## विभावना

जब जेंडर संवेदनशील बजट (जेन्डर बजटिंग) शब्द प्रयोग किया जाता है तब उसमें सरकार के उन विविध प्रयासों का समावेश होता है जो सार्वजनिक धन तथा नीति द्वारा महिलाओं की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस संदर्भ में दो व्याख्याएं प्रस्तुत हैं:

(१) महिला संवेदनशील बजट, जेंडर संवेदनशील बजट तथा महिलाओं का बजट आदि शब्द प्रयोग ऐसी विविध प्रक्रियाओं और साधनों के बारे में हैं जो सरकार के बजटों के महिलाओं पर प्रभावों का मूल्यांकन सुलभ करते हैं। सरकार के बजटों का महिलाओं व लड़कियों पर प्रभाव का अन्वेषण करने पर उसमें ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह बजट महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग बजट नहीं है। वह तो सरकार के मुख्य प्रवाह के बजट से महिलाओं व पुरुषों पर होने वाले प्रभावों को अलग करता है तथा समाज के महिला-पुरुष भेदभावपूर्ण संबंधों को ध्यान में लेता है।

(२) जेंडर संवेदनशील बजट के प्रयास सरकारें जिस तरह सार्वजनिक धन एकत्र करती हैं तथा खर्च करती हैं, उसका विश्लेषण सार्वजनिक संसाधन आवंटन के बारे में निर्णय प्रक्रिया में महिला-पुरुष समानता तथा सरकारी बजट के प्रभाव के वितरण में समानता प्राप्त होती है या नहीं, उस संदर्भ में किया जाता है। इसमें लाभ व बोझ दोनों को परखा जाता है। सरकार के बजटों के जो प्रभाव महिलाओं के सर्वाधिक वंचित समूहों पर होते हैं, उन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

उपरोक्त व्याख्याएं इस वास्तविकता पर जोर देती हैं कि विकास की प्रक्रिया में महिला-पुरुष समानता सिद्ध करने के सामाजिक-आर्थिक साधन के रूप में जेंडर संवेदनशील बजट को देखा जाता है तथा वह सार्वजनिक खर्च तथा नीति में जेंडर संवेदनशीलता पर बहुत जोर देता है। जेंडर संवेदनशील बजट में शामिल महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां निम्नानुसार हैं:

(१) महिलाओं के लिए नीतियों में दिए गए वचनों व संसाधनों के आवंटन के बीच खाई जांचना।

(२) महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता वाले कार्यक्रम बनाना और उनके अमल के तरीके तय करना।

(३) सार्वजनिक खर्च तथा नीति के मुख्य प्रवाह में जेंडर संवेदनशीलता स्थापित करना।

(४) सार्वजनिक खर्च, कार्यक्रमों का अमल और नीतियों का जेंडर संवेदनशील अन्वेषण। इसमें राजकोषीय तथा वित्तीय दोनों मामलों को शामिल किया जाए।

## स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जेंडर संवेदनशील बजट की चेक लिस्ट

२००३ की महिला-पुरुष समानता नीति द्वारा महिला-पुरुष समानता को मुख्य प्रवाह का मुद्दा बनाने का निर्णय स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एस.डी.सी.) द्वारा किया गया। इस दृष्टिकोण का अनुकरण कर के महिला-पुरुष असमानता इस प्रकार समाप्त की जा सकती है:

(अ) सभी परियोजनाओं व कार्यक्रमों में समान मुद्दे के रूप में उसका समावेश करना।

(आ) महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाले निश्चित कार्यक्रम तथा परियोजनाओं के बारे में काम करन।

(इ) महिला-पुरुष समानता को संस्थागत स्वरूप देना।

इतना ही नहीं 'कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स

ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन' (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) हस्ताक्षरकर्ता देशों को बाध्य करता है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव को वे सक्रिय रूप से समाप्त करें और महिलाओं का इस तरह विकास करें जिससे पुरुषों के मानवाधिकारों की तरह उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो। रोजमर्रा की भूमिकाओं का आवंटन दूर हो तथा राजनीति, शिक्षा, कार्य, सामाजिक सुरक्षा और परिवार में महिलाओं की समानता का आश्वासन मिले तथा वह बढ़े।

नई परियोजनाओं या चालू परियोजनाओं के नए चरणों के बारे में निम्न सूचना एकत्र करने के लिए ये संसाधन विकसित किए गए हैं।

अ. परियोजनाओं के क्रमांक, भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्र, लक्ष्य समूह व प्रस्तावित ऋण।

आ. एस.डी.सी. की नीति के अनुसार पालन का परियोजना का स्तर।

इ. महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों में परियोजनाओं द्वारा हाथ पर लिए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे।

जिन दस्तावेजों की जांच की जाती है वे ऑपरेशन्स कमेटी को सुपुर्द किए जाते हैं।

जो सूचना एकत्र की जाती है वह तथा साधनों द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई होती है:

१. एसडीसी के कार्यक्रम संचालक तथा कार्यक्रम अधिकारी ऑपरेशन्स कमेटी को ऋण प्रस्ताव सौंपने से पहले उसमें एसडीसी की नीतियों के पालन की जांच करते हैं।

२. एसडीसी का जेंडर यूनिट एसडीसी के स्टाफ को महिला-पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने वाली परियोजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में ढांचागत जानकारी उपलब्ध कराता है।

३. एसडीसी की नीति के अमल पर उसका मूल्यांकन तथा नियंत्रण विभाग काम करता है।

## परियोजना की पहचान

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| परियोजना सं. | | | चरण सं. | | |
| शीर्षक | | | | | |
| आरंभ तिथि | | | समाप्ति तिथि | | |
| विभाग | | | संगठनात्मक इकाई | | |
| जिम्मेदार व्यक्ति | | | एस.डी.सी. के सहभागी | | |
| भौगोलिक क्षेत्र | | | क्षेत्र | | |
| लक्ष्यांक समूह (निशान लगाएं) | मात्र लड़कियां और/अथवा महिलाएं | ☐ | मात्र लड़के और/अथवा पुरुष | | ☐ |
| | अधिकांशतः लड़कियां और/अथवा महिलाएं | ☐ | अधिकांशतः लड़के और/अथवा पुरुष | | ☐ |
| | लड़कियां/महिलाएं और लड़के/पुरुष समान रूप से | ☐ | निर्धारित नहीं है | | ☐ |
| प्रस्तावित ऋण | | | वास्तविक | | |
| सहस्राब्दि विकास लक्ष्यांक | | | नीतिगत | | |

## जेंडर समानता की नीति मुख्य प्रवाह में लाने की चेक लिस्ट

अंक: ३:सम्पूर्ण, विवरणयुक्त २: महत्वूर्ण १: फौरी तौर पर ०: बिल्कुल नहीं

| प्रश्न | | समर्थन रूपी प्रमाण | हां | नहीं | अंक (३-०) |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | क्या परियोजना का लक्ष्य जेंडर समानता को बढ़ावा देने और/अथवा महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना है? | (अ) सारांश में महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देने का उल्लेख हुआ है?<br>(आ) तर्क में महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देने का उल्लेख हुआ है?<br>(इ) सारांश में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने का उल्लेख हुआ है? | | | |
| २. | क्या महिला-पुरुष भेदभाव या परिस्थिति का विश्लेषण किया गया है? | (अ) परियोजना के साथ संबंधित क्षेत्रों, नीतियों और कानूनों में भेदभाव के मुद्दे शामिल किए गए हैं?<br>(आ) परियोजना में एकत्र की गई, विश्लेषित और रखी गई सूचना महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है?<br>(इ) महिलाओं की व्यावहारिक व रणनीतिक जरूरतों और उनके अधिकार, समय व वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति तथा नियंत्रण का विश्लेषण किया गया है?<br>(ई) पुरुषों की व्यावहारिक व रणनीतिक जरूरतों और उनके अधिकार, समय व वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति तथा नियंत्रण का विश्लेषण किया गया है?<br>(उ) श्रम का महिला-पुरुष विभाजन व उसमें होने वाले फेरबदलों का विश्लेषण किया गया है?<br>(प्रजननोन्मुखी, उत्पादक, समुदाय-संचालन तथा राजनीतिक भूमिका सवेतन और अवेतन श्रम)<br>(ऊ) महिला-पुरुष भेदभाव के विश्लेषण में दी गई सूचना परियोजना के ढांचे में स्पष्ट रूप से रखी गई है? | | | |
| ३. | जेंडर समानता का उल्लेख निश्चित रूप से होने वालें परिणाम निर्देशक विकसित किए गए हैं? अथवा यदि ऐसे निर्देशक नहीं हों, तो अपेक्षित परिणाम निश्चित रूप से जेंडर | (अ) एकत्रित व विश्लेषित सूचना महिला-पुरुषों के लिए अलग-अलग है?<br>(आ) अपेक्षित परिणामों और/अथवा अपेक्षित निर्देशकों में महिला-पुरुष की व्यावहारिक और/अथवा रणनीतिक जरूरतें कितनी मात्रा में शामिल की गई हैं?<br>(इ) ऐसे मात्रा व गुणात्मक परिणाम निर्देशक हैं, जिनसे परियोजना स्तर पर परामर्श तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं और | | | |

| प्रश्न | | समर्थन रूपी प्रमाण | हां | नहीं | अंक (३-०) |
|---|---|---|---|---|---|
| | समानता का उल्लेख करते हैं? | पुरुषों की सहभागिता पर देखरेख रखी जा सके?<br>(ई) क्या अपेक्षित परिणाम महिलाओं व पुरुषों के बीच श्रम-विभाजन का उल्लेख करते हैं और/अथवा परिणाम निर्देशक उन परिवर्तनों पर देखरेख में उपयोगी हैं? (प्रजननोन्मुखी, उत्पादक, समुदाय-संचालन तथा राजनीतिक भूमिका, सवेतन और अवेतन श्रम)<br>(उ) परियोजनाओं के परिणामों की प्राप्ति और/अथवा अंकुश पर के महिलाओं व पुरुषों के प्रमाण पर देखरेख की जा सके, ऐसे परिणाम निर्देशक हैं और/अथवा अपेक्षित परिणामों में उनका उल्लेख है? | | | |
| ४. | जेंडर समानता का निश्चित रूप से उल्लेख करने वाले परिणाम निर्देशक और/अथवा महत्वपूर्ण प्रश्न विकसित किए गए हैं? | (अ) सामाजिक मानदंडों, रुझान और व्यवहारों - जो महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करनेवाले हैं - में होने वाले फेरबदल पर देखरेख रखी जा सकने वाले परिणाम निर्देशकों और/अथवा कुंजीरूपी प्रश्न हैं?<br>(आ) परिणामों पर महिला-पुरुष भेदभाव रूपी देखरेख रखी जा सकने की जिम्मेदारियों और संसाधनों का आवंटन स्पष्ट रूप से हुआ है?<br>(इ) महिला-पुरुष भेदभावलक्ष्यी मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारियों और संसाधनों का आवंटन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है? | | | |
| ५. | परियोजना में जेंडर समानता को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान आयोजन और अमल करने वाली संस्थाओं के पास है? | (अ) महिला-पुरुष भेदभाव विषय के विशेषज्ञ प्राप्ति के लिए बजट में प्रावधान हैं?<br>(आ) एस.डी.सी. की जेंडर इकाई, इसका मुख्यालय और/अथवा एस.डी.सी. कूफ जेंडर फोकल प्वॉइंट परियोजना से संबंधित है?<br>(इ) परियोजना के साथ महिला-पुरुष भेदभाव के बाह्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं?<br>(ई) महिला-पुरुष भेदभावलक्ष्यी निपुणता वाले स्थानीय संगठन परियोजना में भागीदार हैं?<br>(उ) महिला-पुरुष भेदभावलक्ष्यी निपुणता वाले राष्ट्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठन परियोजना भागीदार हैं?<br>(ऊ) महिला-पुरुष भेदभावलक्ष्यी निपुणता वाली सरकार के साथ सम्बद्ध संस्थाएं परियोजना में भागीदार हैं? | | | |
| | | कुल अंक (१५-०) | | | |

## जेंडर समानता के मुद्दों की चेक लिस्ट

ए-केन्द्रीय प्रतिबद्धता बी-महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता सी-अपेक्षित दुष्प्रभाव डी-बिल्कुल नहीं

| | परियोजना निम्न बातों में स्पष्ट रूप से जेंडर समानता को बढ़ावा देती है। | | | | ए,बी, सी या डी |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | महिलाओं-पुरुषों की विविध जरूरतों को संतुष्ट करने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक, कानूनी, वित्तीय आदि जैसी गुणात्मक सेवाओं की प्राप्ति | | | | |
| | ☐ शिक्षा (ए) | प्रशिक्षण (बी) | ☐ स्वास्थ्य (सी) | ☐ सामाजिक (डी) | |
| | ☐ कानूनी (ई) | वित्तीय (एफ) | ☐ अन्य (जी):..... | | |
| २. | परिवार और/अथवा समुदाय स्तर पर निर्णय प्रक्रियाएं | | | | |
| | ☐ परिवार (ए) | | ☐ समुदाय (बी) | | |
| ३. | प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शासन : मानवाधिकार समेत | | | | |
| | ☐ प्रादेशिक (जिला, प्रदेश) (ए) | | ☐ राष्ट्रीय (बी) | ☐ अंतरराष्ट्रीय (सी) | |
| ४. | सवेतन व अवेतन श्रम का समयोन्मुखी बोझ | | | | |
| | ☐ महिलाओं पर अवेतन श्रम का समयोन्मुखी बोझ घटा(ए) | | ☐ सवेतन कार्य का समान आवंटन (बी) | | |
| ५. | जमीन, घर, ऋण आदि जैसी धरोहरों और आय तक पहुंच | | | | |
| | ☐ जमीन (ए) | ☐ घर (बी) | ☐ ऋण (सी) | ☐ आय (डी) | |
| ६. | भौतिक और/अथवा सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता | | | | |
| | ☐ भौतिक गतिशीलता (ए) | | ☐ सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता (बी) | | |
| ७. | ☐ हिंसामुक्त जीवन | | | | |
| | ☐ घरेलू हिंसा (ए) | ☐ मानव व्यापार (बी) | ☐ बंधुआ मजदूरी (सी) | | |
| | ☐ सशस्त्र संघर्ष (डी) | ☐ राज्य की हिंसा (दंडात्मक या सुरक्षा व्यवस्था आदि) (ई) | | | |

## जेंडर संवेदनशील बजट क्यों?

जेंडर संवेदनशील बजट का एक अर्थ यह भी है कि सरकार का आम बजट महिलाओं के प्रति संवेदनशील व प्रतिभावात्मक हो। जेंडर समानता सिद्ध करने की एक रणनीति के तहत जेंडर संवदेनशील बजट के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके विविध उद्देश्य निम्नानुसार हैं: (१) महिलाओं के लिए होने वाले संसाधनों के आवंटन में वृद्धि करना या करवाना। (२) समग्र अर्थतंत्र के मुख्य प्रवाह में महिलाओं को लाना तथा महिला-पुरुष भेदभाव के प्रति ध्यान देना। (३) आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सभ्य समाज की भागीदारी को मजबूत करना। (४) आर्थिक व सामाजिक नीति के परिणामों के बीच संबंध मजबूत करना एवं बढ़ाना। (५) सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करना।

## जेंडर संवेदनशील बजट के संसाधन

बजट के महिला उन्मुखी विश्लेषण के संदर्भ में कुछ संसाधन महत्व के हैं। इन संसाधनों की यहां चर्चा की गई है:

### (१) संसाधनों का आवंटन व खर्च का विश्लेषण

जेंडर संवेदनशील बजट का वित्तीय संसाधनों के आवंटन के साथ संबंध है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक खर्च से कितना खर्च महिलाओं के लाभार्थ किया जाता है। ऐसे खर्च के वर्षवार रुख पऱखने जरूरी हैं। यह समग्र राज्य या केन्द्र के स्तर पर जांचा जा सकता है। यद्यपि इसमें कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। (१) संसाधन के आवंटन में वृद्धि-कमी मूल्य वृद्धि के साथ मापना पड़ेगा अर्थात् वास्तविक आवंटन किया गया है या नहीं, उसे जांचना

अनिवार्य है। (२) आवश्यक सुविधाओं व हुए आवंटन के बीच की खाई परखना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों में से कितना वित्तीय आवंटन हुआ है, वह देखना चाहिए। (३) वित्तीय आवंटन बढ़ने के बावजूद वास्तविक खर्च नहीं भी होता है। (४) ऐसा भी हो सकता है कि वित्तीय आवंटन बढ़े, परंतु भौतिक लक्ष्य ऊंचा न आए तथा भौतिक उपलब्धि न हासिल हो। (५) प्रत्येक स्तर की सरकार के खर्च का विश्लेषण अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के साथ होना चाहिए।

**(२) विविध क्षेत्रों का जेंडर संवेदनशील विश्लेषण**

जेंडर संवेदनशील बजट के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सरकार जो कुछ करती है, उसमें महिलाओं के लाभ, कल्याण व सशक्तिकरण के लिए क्या भौतिक व वित्तीय प्रावधान करती है। विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार क्षेत्र में इस प्रकार के प्रावधान बजट में

## महिलाओं के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता

**संवैधानिक प्रावधान**

भारत के संविधान में जेंडर समानता के लिए कई नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- धारा-१४: राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर।
- धारा-१४: लिंग आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध।
- धारा-१५ (३): महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव।
- धारा ३९: समान कार्य के लिए समान वेतन व जीवन निर्वाह के समान संसाधन।
- धारा-४२: कार्य की उचित व मानवीय स्थिति तथा मातृत्व लाभ।
- धारा-५१ (ए) (ई): महिलाओं के लिए अपमानजनक व्यवहार छोड़ने का मूलभूत दायित्व।

**राष्ट्रीय नीति**

२००१ में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई। इसमें व्यावहारिक रणनीति के रूप में बजट की प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का ध्येय रखा गया। इस प्रावधान के संदर्भ में कई कानून बने हैं। इस संदर्भ में कुछ महिला उन्मुखी कानून निम्नानुसार हैं:

- अनैतिक व्यवहार (प्रतिरोध) अधिनियम-१९५६
- मातृत्व लाभ अधिनियम-१९६१
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम-१९६१
- महिलाओं के प्रति अशोभनीय प्रस्तुतिकरण (प्रतिबंध) अधिनियम-१०८६
- सती प्रतिरोध अधिनियम-१९८७
- घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम-२००६

**आर्थिक कानून**

- कारखाना अधिनियम-१९४८
- न्यूतम वेतन अधिनियम-१९४८
- समान मुआवजा अधिनियम-१९७६
- कामगार राज्य बीमा अधिनियम-१९४८
- बगीचा कामगार अधिनियम-१९५१
- बेगार मजदूरी प्रथा प्रतिबंध अधिनियम-१९७६

**सुरक्षा अधिनियम**

- फौजदारी कार्यवाही अधिनियम-१९७३ का प्रावधान।
- भारतीय दंड संहिता के तहत विशेष प्रावधान।
- बाल जन्म पूर्व की निदान पद्धति (नियमन व दुरुपयोग प्रतिरोध) अधिनियम-१९९४

**सामाजिक कानून**

- पारिवारिक अदालत अधिनियम-१९८४
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम-१९२५
- चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम-१९७१
- बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम-१९२९
- हिंदू विवाह अधिनियम-१९५५
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६ व २००५ का संशोधन
- भारतीय तलाक अधिनियम-१९६९

## महिलाओं के लिए आयोजन

योजनाओं के दस्तावेजों में महिला उन्मुखी मामलों के व्यवहार देखने को मिलते हैं। महिला अंगीभूत योजना (डब्ल्यू.सी.पी.) के साथ महिलाओं के लिए धन का औपचारिक आवंटन शुरू हुआ। हालांकि संसाधनों के आवंटन के बारे में संवेदनशीलता सातवीं पंचवर्षीय योजना से दिखाई देती है।

- सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए २७ योजनाओं पर देखरेख रखने का विचार आया। यह प्रयास जारी है तथा इसमें शामिल की जाने वाली योजनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- १९९२-९७ की आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली ही बार जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण प्रकाश में आया और महिलाएं वंचित न रहें तथा उनके लिए विशेष कार्यक्रम आम विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को पूरक बनाया जाना चाहिए।
- १९९७-२००२ की नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंगीभूत योजना महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में अपनाई गई तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों को कम से कम ३० प्रतिशत धन महिला संबंधी क्षेत्रों के लिए आवंटित करने को कहा गया। इस पर विशेष सतर्कता बरतने का भी निश्चय किया गया।
- १०वीं पंचवर्षीय योजना (२००२-०७) में जेंडर संवेदनशील बजट के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। सरकार के बजट का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने पर तथा उसकी महिला उन्मुखी प्रतिबद्धताओं पर विशेष जोर दिया गया।

हों, यह आवश्यक है। हालांकि सरकार की एक-एक प्रवृत्ति व उसके लिए होने वाले खर्च का विश्लेषण महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से होना जरूरी है। मात्र विविध क्षेत्रों के लिए होने वाले खर्च से महिलाओं का समपूर्ण सशक्तिकरण हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों पर होने वाला खर्च उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी, परिवहन, बिजली, रास्ते जैसे भौतिक ढांचागत सुविधाएं भी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर, संसाधनों की उपलब्धता, आवंटन, खर्च आदि महत्वपूर्ण हैं। उतनी ही महत्वपूर्ण सेवाओं की विश्वसनीयता भी है।

## जेंडर संवेदनशील बजटः विविध स्तर के प्रयास

**समग्र अर्थतंत्र स्तर के प्रयास**

- सार्वजनिक खर्च का जेंडर संवेदनशील चित्र। संसाधनों के आवंटन में रही खाई को पहचानना।
- राज्य के समग्र बजट या मंत्रालय के बजट या निश्चित क्षेत्रों के बजटों के लिए इस खाई को पहचानना।
- यह खाई पहचानी जाये, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसाधनों के आवंटन में प्राथमिकता स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा।
- धन के प्रवाह पर देखरेख, अमल में महिला उन्मुखता तथा परिणामों में उपलब्धि।

**लघु स्तरीय प्रयास**

- गांव व नगरों में उपलब्ध संसाधनों का नक्शा तैयार करना। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सफाई, ईंधन, बेरोजगारी जैसी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता पर विचार करना तथा उसके लिए धन का आवंटन करना।
- संसाधनों का आवंटन क्षेत्रोन्मुखी रूप से विचारना और सभी को शामिल करने वाली शासन व्यवस्था का आयोजन करना।
- ढांचागत सुविधाओं की खामियों व प्रादेशिक असंतुलन के निवारण के लिए संसाधनों का आवंटन करना।

**महिलाओं के लिए प्रतिभावात्मक प्रशासन**

- योजनाएं व कार्यक्रम बनाते समय जेंडर संवेदनशील बातों को ध्यान में लेना, क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
- महिलाओं की सहभागिता स्थापित करने के कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण।
- सार्वजनिक खर्च में महिला उन्मुखता स्थापित करने में अवरोध दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
- अमल पर निरंतर देखरेख रखना तथा प्रभाव का सतत मूल्यांकन करना व उचित सुधारात्मक कदम उठाना।

## जेंडर संवेदनशील बजट से संबंधित मंत्रालय और विभाग

१. सागर विकास
२. विदेशी भारतीय मामले
३. पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस
४. डाक
५. विद्युत
६. सार्वजनिक उपक्रम
७. ग्रामीण विकास
८. वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान
९. जहाजरानी
१०. लघु उद्योग
११. सामाजिक न्याय व अधिकारिता
१२. कार्यक्रम क्रियान्वयन व सांख्यिकी
१३. संचार
१४. आदिवासी मामले
१५. शहरी विकास
१६. शहरी रोजगार व गरीबी निवारण
१७. जल संसाधन
१८. युवा मामले व खेल
१९. पर्यटन
२०. पंचायती राज संस्थाए
२१. कृषि व सहकारिता
२२. जैव प्रौद्योगिकी
२३. रसायन व पेट्रो रसायन
२४. वाणिज्य
२५. उपभोक्ता मामले
२६. संस्कृति
२७. प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता
२८. उर्वरक
२९. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
३०. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
३१. भारी उद्योग
३२. गृह मामले
३३. सूचना एवं प्रसारण
३४. सूचना प्रौद्योगिकी
३५. औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन
३६. श्रम एवं रोजगार
३७. कानून एवं व्यवस्था
३८. गैर-परम्परागत ऊर्जा
३९. पूर्वोत्तर प्रदेश
४०. कोयला
४१. नागरिक उड्डयन

*स्रोतः योजना, २००६*

**(३) अर्थतंत्र के जेंडर संवेदनशील निर्देशक**

साक्षरता दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाओं की महिलाओं को प्राप्ति, रोजगार में महिलाओं का स्थान, महिलाओं को रोजगार में वेतन समानता, औसत आयु आदि जैसे निर्देशक समग्र अर्थतंत्र एवं समाज से जुड़े हुए हैं। जेंडर संवदेनशील बजट में इन निर्देशकों में सुधार करने के उद्देश्य से उचित खर्च आवंटन हुए हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में इन निर्देशकों में सुधार हों, यह अनिवार्य होने के कारण उसका प्रतिबिंब बजट में पड़ना चाहिए। मात्र आवरण यहां महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विविध सेवाओं की प्राप्ति, पहुंच, गुणवत्ता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा आपूरित अनेक तरह की सामाजिक सेवाएं भौतिक ढांचागत सुविधाओं पर आधारित हैं। अतः उनमें भी वृद्धि होनी चाहिए और इसके लिए बजट में आवंटन होना चाहिए।

## जेंडर संवेदनशील बजट में महिलाओं की सहभागिता

जेंडर संवेदनशील बजट बने तो उसमें महिलाओं की सहभागिता काफी जरूरी मुद्दा है। योजना व अमल दोनों में उनकी सहभागिता आवश्यक है। ७३वें व ७४वें संविधान संशोधन से महिलाओं के लिए सदस्यता तथा पद दोनों में आरक्षण होने से इस सहभागिता के बढ़ने के अवसर पैदा हुए हैं। पंचायतों व पालिकाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजन की संभावनाएं बढ़ी है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी प्रभावी बनाई जा सकती है। इस बारे में बड़े अवरोध हैं निम्नानुसार हैं:

१. सबसे बड़ी बाधा तो उपलब्ध संसाधनों का अपर्याप्त व सीमित होना है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार जो कुछ खर्च करती है, उसके कुल खर्च के प्रमाण में बहुत कम होता है, जिसे महिलाओं के लिए खर्च कहा जा सके। इस सीमा में रह कर ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आयोजन व खर्च करना होता है।

२. विशेषकर पंचायतों व पालिकाओं को राज्य सरकार की ओर

## जेंडर संवेदनशील बजट के लिए कदम

१. कृषि या स्वास्थ्य आदि जैसे किसी निश्चित क्षेत्र या मंत्रालय द्वारा जिन्हें सेवा दी जाती है, उन महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों व लड़कों की स्थिति का वर्णन।
२. सम्बद्ध क्षेत्र में सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को महिला-पुरुष अंतर दूर करने के संदर्भ में जांचना। प्रथम कदम में दर्शाए प्रत्येक समूह को वह सेवा आपूरित करना।
३. जेंडर संवेदनशील नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन बजट में आवंटित किया जाता है या नहीं, उसे जांचना।
४. आवंटित धन खर्च होने तथा उससे लाभान्वितों के बारे में जांचना। उदाहरण के तौर पर यह देखना कि स्वास्थ्य सेवाएं, दवाखानों, अस्पतालों व विस्तार सेवाओं द्वारा लोगों तक पहुंची या नहीं।
५. प्रथम कदम पर वापस लौटना तथा स्थिति की पुनः समीक्षा करना।

कदम १: सभ्य समाज व सरकार के बीच संवाद।
कदम २: ठोस विश्लेषण
कदम ३: परिणामों का उपयोग लॉबिंग के लिए करना।
कदम ४: अमल पर निगरानी।
कदम ५: सरकार व नागरिक समाज प्रगति की समीक्षा करे।

*स्रोतः एन इन्ट्रोडक्शन टु जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, लेखकः विनिता शर्मा-कन्सल्टेंट, यूएनएफपीए*

से जो अनुदान मिलता है वह शर्तिया कोष के रूप में मिलता है। अर्थात् राज्य सरकार की विविध योजनाओं का अमल करने के लिए वह कोष उपलब्ध होता है। परिणामतः वह कोष खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इससे सहभागिता सीमित हो जाती है।

खासकर जिला पंचायतों के बजटों में ऐसे शर्तिया कोष की रकम ९० प्रतिशत से अधिक होने का गुजरात का अनुभव रहा है। ग्राम पंचायत व तहसील पंचायत स्तर पर ऐसा शर्तिया कोष ५० प्रतिशत से अधिक तो होता ही है। ऐसी परिस्थितियों में विविध कार्यों के आयोजन व अमल के बारे में कोई उल्लेखनीय स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती।

३. निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बजट निर्माण व आयोजन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकतीं। निरक्षरता या कम साक्षरता, बजट बनाने की तकनिकी उलझनों, स्थानीय संसाधनों की सीमा, क्षमतावर्धन का अभाव, प्राथमिकताएं तय करने में सामाजिक अवरोध और दबाव आदि बातें भी महिला सदस्यों व पदाधिकारियों का प्रभाव पंचायतों व पालिकाओं में घटाते हैं। पंचायतों व पालिकाओं की प्रशासनिक कार्यवाही की जानकारी का अभाव भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में एक तरह की अक्षमता पैदा करता है।

४. महिलाओं की सक्षमता बढ़ाने व उनमें सशक्तिकरण की सरकार की विविध योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं की जानकारी का अभाव भी बड़ी बाधा है। इन योजनाओं के अमल के बारे में केन्द्रीकरण की समस्या भी बड़ी है। अतः निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को सरकार के उच्च स्तर पर सतत आधार रखना पड़ता है।

५. बजटीय मामले, वार्षिक योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं, जिला योजना मंडल, राज्य योजना आयोग आदि के बारे में जानकारी का अभाव भी महिला सदस्यों व पदाधिकारियों की सहभागिता में बाधा है। खासकर बजट निर्माण व उसकी तकनीकी बातों की जानकारी भी उन्हें नहीं हो तो स्थिति अधिक चिंताजनक मानी जाएगी।

## अंतरराष्ट्रीय प्रयास

१९९१ में हरारे में जेंडर समानता को कॉमनवेल्थ के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकारा गया। १९९५ में उसकी एक कार्योन्मुखी योजना में उसका पुनरोच्चार किया गया तथा उसमें आर्थिक विकास व गरीबी में कमी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जेंडर संवेदनशील बजट सरकारों को उनकी यह प्रतिबद्धता व्यक्त करने में मदद करता है।

वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयासों का मूल 'कन्वेंशन ऑन द

एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन' (सिडोव) है। इसमें की गई सिफारिशों के आधार पर जेंडर संवेदनशील बजट की प्रक्रिया शुरू हुई। १९९५ की बीजिंग विश्व महिला परिषद की सिफारिशों ने इसमें गति दी।

**यूरोप**

यूरोप में ब्रिटेन, स्विडन, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम जैसे देशों में जेंडर संवेदनशील बजट की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा है। इसमें विविध प्रयास हुए हैं तथा विविध दृष्टिकोण अपनाए गए हैं और उसके परिणाम आए हैं। जेंडर संवेदनशील बजट में सुशासन महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा इसमें चार बातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है:

(१) समानता
(३) उत्तरदायित्व
(३) कार्यक्षमता
(४) पारदर्शिता।

यूरोप में जेंडर संवेदनशील बजट के बारे में अधिकांश प्रयास विद्वतजनों व सरकारों द्वारा किए गए हैं। सभ्य समाज तथा महिला संगठनों ने दिलचस्पी ली हो, ऐसे मामले कम ही हैं।

**दक्षिण अफ्रीका**

दक्षिण अफ्रीका में जेंडर संवेदनशील बजट के लिए यह दृष्टिकोण अपनााया गया है:

(१) महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों तथा लड़कों की स्थिति का विश्लेषण।
(२) नीतियां किस तरह महिला-पुरुष समानता के लिए काम करती हैं, यह देखना
(३) बजट आवंटन का मूल्यांकन।
(४) खर्च व सेवा की आपूर्ति पर देखरेख।
(५) परिणामों का मूल्यांकन।

दक्षिण अफ्रीका में दो प्रयास अलग-अलग तरह से हुए हैं। एक प्रयास गैर-सरकारी संगठन व सांसद करते हैं, तो दूसरा प्रयास सरकार व उसका वित्त मंत्रालय करता है। प्रथम प्रयास अधिक मजबूत है। वह १९९५ में 'वुमेंस बजट इनिशिएटिव' नाम से शुरू हुआ था।

**ऑस्ट्रेलिया**

ऑस्ट्रेलिया में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसमें इन मुद्दों को शामिल किया गया है:

(१) जेंडर संवेदनशील खर्च।
(२) सरकारी नौकरों के लिए समान अवसर का खर्च।
(३) सामान्य खर्च की महिला-पुरुष भेदभाव की स्थिति पर होता प्रभाव।

प्रथम मुद्दे में महिलाओं व लड़कियों के कार्यक्रमों पर होता आवंटन जांचा जाता है। आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार प्रयासों व गैर-परम्परागत व्यवसाय के प्रशिक्षण में वृद्धि जांची जाती है।

दूसरे मुद्दे में रोजगार के समान अवसर देखे जाते हैं। संचालन व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व है या नहीं, यह देखा जाता है। समान वेतन व कार्य की समान शर्तें भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।

तीसरे मुद्दे में उपरोक्त दो में समावेश नहीं हुए तमाम आवंटनों की जांच की जाती है। यह खर्च सरकार के कुल खर्च का ९९ प्रतिशत होता है, जिससे उसका विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि उसका विश्लेषण एक चुनौती है।

***संदर्भ***


१. जेंडर बजटिंग के द्वारा महिला सशक्तिकरण: भारतीय संदर्भ में एक समीक्षा - अंजली गोयल
२. यूरोपीय यूनियन में जेंडर बजटिंग - एलिजाबेथ विलागोम्ज
३. एनजेंडरिंग बजट - जेंडर प्रतिभावी बजट की समझ व क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं की गाइड -डेबी बुधुंडलेंडर एवं गाई हेल्विट
४. मासिक पत्रिका योजना, अक्टूबर-२००६
५. जी.आर.बी. चेक लिस्ट, स्विस विकास निगम, जेंडर प्रतिभावी बजट चेक लिस्ट


***पावर पोइन्ट प्रस्तुति***


१. जेंडर प्रतिभावी बजटिंग का परिचय - विनिता शर्मा, परामर्शदाता, यूएनएफपीए
२. जेंडर प्रतिभावी बजटिंग - आनंदी (गुजरात)
३. जेंडर प्रतिभावी बजटिंग, जेंडर संसाधन केन्द्र, गुजरात

# पंचायत में जेंडर संवेदनशील बजट

पंचायतों के बजट स्थानीय स्तर की राजकोषीय नीति को पेश करते हैं। अत: उसमें यह महत्वपूर्ण है कि महिला विकास संबंधी प्रावधान कितने हैं व वास्तविक खर्च कितना होता है। इस संदर्भ में **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा यहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है।

## प्रस्तावना

७३वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप पंचायतें तीसरे स्तर की सरकार बनी हैं तथा इनमें पद व सदस्यता के लिए महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। साथ ही अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में भी महिला आरक्षण लागू होता है। ऐसे में पंचायतों के बजट जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए सघन प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे प्रयास ठेठ निचले स्तर से होने चाहिए। बजट पंचायत का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है। वह हर वर्ष पेश हो इसके लिए संविधान में पंचायत से संबंधित कानून में प्रावधान हुआ है। इसमें विविध प्रकार की आय और व्यय का विवरण तो होता ही है, साथ ही पंचायत की राजकोषीय नीति का प्रतिबिंब भी पड़ता है। इस दृष्टि से पंचायतों के बजटों में सामाजिक विकास व महिला विकास के लिए प्रावधान व वास्तविक खर्च की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। यदि पंचायतें इस बारे में सक्रिय हों तो महिला विकास स्थानीय योजना व बजट का हिस्सा बन सकता है।

## (१) बजट की तैयारी

पंचायत के बज़ट बनाने के दौरान महिलाओं के लिए प्रावधानों के प्रति विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर ग्राम, तहसील व जिला पंचायत के बजटों में इस तरह के प्रावधानों पर नजर रखनी चाहिए। पंचायतों में निर्वाचित महिला सदस्यों की तो यह विशेष जिम्मेदारी है। खासकर समाजिक न्याय समिति व कारोबारी समिति में जो महिला सदस्य हों, उन्हें ग्राम पंचायत का बजट बनते वक्त महिलाओं के लिए कल्याणकारी व विकासोन्मुख तथा सशक्तिकरण संबंधी प्रावधान करवाने पर विशेष प्रयास करने चाहिए। तहसील पंचायत व जिला पंचायत स्तर पर भी इसी तरह के प्रयास होने चाहिए तथा जिला पंचायत की विविध समितियों की महिला सदस्यों को पंचायत की बैठकों में इन समिति अध्यक्षों व सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतिकरण की पहल करनी चाहिए।

## (२) वित्त आयोग का अनुदान

केन्द्रीय वित्त आयोग भी पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। इस सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार से हर वर्ष पंचायतों को अनुदान मिलता है। यह अनुदान राज्य सरकार की मार्फत मिलता है। १२वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह अनुदान बिना शर्त (अन-टाइड) होना चाहिए यानी इसके उपयोग के लिए कोई शर्त केन्द्र या राज्य सरकार को नहीं लगानी चाहिए। अनुदान के उपयोग की स्वायत्तता पंचायतों को होनी चाहिए। तीनों स्तर की पंचायतों के बजट में इस अनुदान का कितना प्रावधान है तथा इसमें से महिला कल्याण की क्या व्यवस्था है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पंचायतों की महिला सदस्यों, सरपंचों व अध्यक्षों का जागरूक होना जरूरी है।

## (३) राज्य सरकार का अनुदान

गुजरात राज्य सरकार के १३ विभागों से पंचायतों को अनुदान मिलता है। यह अनुदान मुख्यत: जिला पंचायतों के पास आता है और फिर तहसील व ग्राम पंचायतों को मिलता है। इस विभागीय अनुदान से किन योजनाओं पर कितना खर्च होना है, उसकी जानकारी जिला पंचायत से प्राप्त होती है। जिले के बजट में कितना प्रावधान जेंडर संवेदनशील है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिला पंचायतों के बजट में इस अनुदान की रकम लगभग ९८ प्रतिशत होती है। खासकर जिला पंचायत की महिला सदस्यों को महिला उन्मुखी प्रावधानों के बारे में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

## (४) स्वकोष का खर्च

ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत व जिला पंचायत की स्वकोष की

आय महत्वपूर्ण है। स्वकोष की आय यानी ऐसी आय जो पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर कर, शुल्क, जुर्माना आदि द्वारा प्राप्त की जाती है। इस आय के उपयोग को वह स्वतंत्रता है। अतः पंचायत की महिला सदस्यों को स्वकोष की आय से महिला विकास के लिए अधिकाधिक आवंटन कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पंचायत की बैठकों में बार-बार मुद्दा उठाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम सभा में भी यह मुद्दा उठाया जाए तो व्यापक सहमति बनाई जा सकती है।

## (५) निधियों का उपयोग

गुजरात में पंचायतों को अनुदान व ऋण देने के लिए विविध निधियां स्थापित की गई हैं। राज्य समकारी निधि व जिला समकारी निधि ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए स्थापित की गई है। इन निधियों से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के ढांचागत विकास की तरह सामाजिक विकास के लिए भी धन आवंटन जरूरी है। इसमें से महिलाओं के विकास पर भी धन खर्च हो सकता है। जिला पंचायतों की महिला सदस्यों को इसके लिए ध्यान देना होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर सामाजिक न्याय निधि है। इस निधि का गठन गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत अनिवार्य है, परंतु जिला पंचायतों के बजटों में ऐसी निधि की रचना नहीं पाई गई है। जिला पंचायत की स्वकोष आय से कुछ रकम इस निधि के लिए आवंटित करनी होती है। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए ही इस कोष से खर्च करना होता है। यानी जिला, तहसील व ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समितियों को इस निधि में कितना धन है और कैसे उपयोग हो, इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जिला पंचायतों के बजटों में इसके लिए अलग से पत्रक तैयार करना जरूरी है। जिला विकास निधि व जिला ग्रामोत्तेजन निधि भी अस्तित्व में है। विकास के विवध कार्यों के लिए इन निधियों के उपयोग को लेकर पंचायत की महिला सदस्यों को जागरूक रहना चाहिए।

## दबाव बनाने के मुद्दे

बजट जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए पंचायत स्तर पर दबाव बनाना जरूरी है। पंचायतों की महिला सदस्य ऐसा दबाव राज्य स्तर पर बनाएं तथा विधानसभा की महिला विधायकों पर भी यह दबाव लाया जाना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(१) गुजरात राज्य सरकार की ओर से पंचायतों को जो अनुदान मिलता है, वह शर्तिया कोष है। यदि यह कोष बिना शर्त हो तो ही पंचायतों को उसे खर्च करने की स्वतंत्रता मिलती है। इससे पंचायत स्वयं महिला विकास के लिए उचित आवंटन कर सकती है। इसके लिए भी दबाव बनाना जरूरी है कि साथ ही शर्तिया कोष बनाए रखे व बिना-शर्त कोष पंचायतों को आवंटित किया जाए।

(२) ग्राम, तहसील व जिला पंचायत तीनों स्तर की पंचायतों के लिए बजट के बारे में पत्रक तैयार किया गया है, वह एक समान है। जिला पंचायतों व तहसील पंचायतों के बजट में जो मामले होते हैं, वे सभी मामले ग्राम पंचायतों के बजट में नहीं होते। ग्राम पंचायतों के लिए अलग व सरल पत्रक होना चाहिए, क्योंकि उनके बजट की राशि व उनके मामलों की संख्या छोटी होती है। यदि पत्रक सरल हो, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को समझने में आसानी रहेगी।

(३) पंचायत के बजट में महिलाओं के विकास के विशेष प्रावधानों को अलग से रखना चाहिए तथा पंचायत के कुल खर्च में आवंटन के प्रतिशत को दर्शाना चाहिए। इस बारे में एक अलग पत्रक तैयार कर बजट में प्रकाशित करना जरूरी है। इसके लिए बजट के नियमों में सुधार भी होने चाहिए।

(४) विधायकों व सांसदों के अनुदान का उपयोग अधिकांशतः ढांचागत विकास कार्य में होता है। इसमें सामाजिक व महिला विकास के लिए आवंटन जरूरी है। इसके लिए सामाजिक न्याय समिति द्वारा बनाई जाने वाली व्यक्तिगत विकास व सामूहिक विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस मुद्दे को विशेष प्राथमिकता की जरूरत है।

(५) ७४वें संविधान संशोधन में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। गजरात में जिला योजना मंडल है, जिला योजना समिति किसी जिले में नहीं है। यदि यह समिति बनाई जाए, तो नीचे से ऊपर की ओर योजना संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संभव हो एवं इसमें महिलाओं के विकास का आयोजन भी संभव होगा।

# भारत में जेंडर संवेदनशील बजट

भारत में जेंडर संवेदनशील बजट की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश के आर्थिक आयोजन में हालांकि यह तत्व पहले ही था, परंतु धीरे-धीरे कल्याण से विकास व विकास से सशक्तिकरण का दृष्टिकोण स्थापित होने लगा। इस लेख में 'कापार्ट' की क्षेत्रीय प्रतिनिधि **सुश्री नमिता प्रियदर्शी** ने इन दृष्टिकोणों की चर्चा की है तथा विविध आयामों की आवश्यकता दर्शाई है।

## प्रस्तावना

बजट महिलाओं के जीवन पर कई तरह से प्रभाव छोड़ते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से महिला कार्यक्रमों के लिए बजटीय कोष का आवंटन कर महिलाओं के विकास को बढ़ावा देते हैं तथा यदि बजट में कटौती की जाए, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के अवसर कम करते हैं। ढांचागत आयोजन कार्यक्रमों व वैश्वीकरण की नीतियों ने जिनका वित्त में भुगतान नहीं होता, ऐसे कार्य का बोझ महिलाओं पर बढ़ाया है। इस तरह अर्थतंत्र में महिलाओं द्वारा जो सब्सिडी की आपूर्ति की जाती है, उसमें वृद्धि हुई है। नई आर्थिक नीतियों से आय में हुआ अवमूल्यन भावों में वृद्धि तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की अक्षमता व जन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था द्वारा आपूरित सेवाओं में हुई कमी से महिलाओं को असहनीय बोझ उठाना पड़ता है। पितृ सत्तात्मक परिवारों में महिलाएं ही भोजन बनाने व परिवार के बीमार सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाती हैं। इससे आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर का प्रमाण न बढ़े, इसमें और खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के आश्वासन का बजटीय प्रावधान हो, इसमें महिलाओं का बड़ा हित समाया हुआ है।

## भारत में हुए प्रयास

केन्द्र सरकार के २००५-०६ के बजट में जेंडर संवेदनशील बजट के प्रति प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को भी जेंडर संवेदनशील बजट तैयार करने को कहा है। ऐसा लगता है कि २२ राज्यों ने अपने बजट में जेंडर संवेदनशील बजट तैयार करने पर अमल किया है। भारत में योजना आयोग ने हमेशा अर्थतंत्र में महिलाओं की स्थिति के बारे में आयोग के सदस्यों को विचारों के आधार पर महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। १९५१-५६ की प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान १९५३ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं, धर्मादा ट्रस्टों व धर्मादा संस्थाओं द्वारा होने वाले कल्याणोन्मुखी कार्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। १९५६-६१ की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थानीय स्तर पर महिला मंडलों ने विकास को समर्थन दिया गया।

तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं व योजना की विराम अवधि १९६१-७४ के दौरान महिलाओं की शिक्षा, बाल स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों को पूरक पोषण तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण पर जोर दिया गया। १९७४-७८ की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के संदर्भ में बड़ा परिवर्तन आया और इसमें कल्याण की बजाय विकास पर जोर दिया गया। १९८०-८५ की छठी योजना में महिलाओं के विकास को एक अलग आर्थिक एजेंडा के रूप में स्वीकारा गया। इसने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया तथा शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर विशेष जोर दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (१९८५-९०) में राष्ट्रीय विकास के मुख्य प्रवाह में महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य की घोषणा की गई। १९९२-९७ की आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास से सशक्तिकरण की ओर दृष्टिकोण अपनाया गया तथा अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ देने का वचन दिया गया। इसमें भी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। २००२-०७ की दसवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निश्चित रणनीतियों, नीतियों व कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया है कि विकास का मापन कुल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की सिद्धि से आगे बढ़ना चाहिए तथा वितरणात्मक न्याय व उस पर निगरानी के निर्देशक इसमें होने चाहिए। महिलाओं

के नेतृत्व में परिवारों को विशेष लक्ष्य बनाना चाहिए, ग्रामीण व शहरी परिस्थिति में उन्हें जो अतिरिक्त गैरलाभ मिलते हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए। मानव विकास मापने के लिए जेंडर संवेदनशील विकास निर्देशक स्थापित करने व विकास पर निगरानी के लिए उनका साधन के रूप में तेजी से उपयोग जरूरी है।

अंगीभूत योजना के दृष्टिकोण में सरकार के कामकाज के विभाजन की समस्या हल नहीं होती थी, जिससे शासन के तमाम स्तर पर सेवाओं को समन्वित करने का दृष्टिकोण केन्द्र व राज्य स्तर पर सभी विभागों व मंत्रालयों की अंतर-क्षेत्रीय समितियों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर पंचायतों व पालिकाओं को प्रशासन के लिए निश्चित जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

## जेंडर संवेदनशील खर्च

१. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, शहरी रोजगार व गरीबी निवारण, युवा व खेल मामले, श्रम, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, आदिवासी मामले, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि विभागों व मंत्रालयों को निम्न कदम उठाने चाहिए:

## योजना व बजट

१. जेंडर संवेदनशील योजनाओं व कार्यक्रमों की सूची।
२. महिलाओं के कार्यक्रम के तहत की जाने वाली प्रवृत्तियां।
३. खर्च से प्राप्त परिणामों के निर्देशकों जैसे कि महिला लाभार्थियों की संख्या, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि, प्रोजेक्ट समापन के बाद आय, कुशलता व संसाधन आदि में हुई वृद्धि।
४. वार्षिक बजट में संसाधनों का आवंटन व उनके भौतिक लक्ष्य।
५. लक्ष्यांकित लाभार्थियों के संदर्भ में संसाधनों का योग्य आवंटन हुआ या नहीं।

## कामकाज का ऑडिट

१. वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों के बारे में वास्तविक कामकाज की समीक्षा व लक्ष्य हासिल करने के अवरोध।
२. कार्यक्रम के हस्तक्षेप का मूल्यांकन, लाभ कितना मिला, महिलाओं की स्थिति में सुधार जैसे वास्तविक मामले।
३. खर्च व परिणाम के निर्देशक विकसित करना व इनका विश्लेषण करना।

## राजस्थान में जेंडर संवेदनशील बजट

विकास में महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो तथा जेंडर समानता पैदा हो। राजस्थान सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह एक राज्य प्रेरित प्रयास है तथा सरकार की कार्यसूची का हिस्सा है। समग्र प्रक्रिया में राज्य सरकार के आयोजन विभागों के मूल्यांकन विभाग तथा अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आरंभ में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, महिला व बाल विकास, स्टाम्प तथा पंजीकरण और समाज कल्याण इन छह विभागों के बजट का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण सहभागिता के आधार पर किया गया। सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों ने यूनिफेम, यूएनएफपीए तथा आईएफईएस के विशेषज्ञों के साथ सघन सम्पर्क में रह कर काम किया, मनोमंथन किया तथा इन विभागों की रिपोर्टें तैयार कीं। प्रत्येक रिपोर्ट के अंत में सिफारिशें की गईं। उनके बारे में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

राज्य सरकार ने जेंडर संवेदनशील बजट के बारे में इन रिपोर्टों के आधार पर प्रकाशन जारी करने का निश्चय किया है और प्रथम प्रकाशन प्रकाशित भी कर दिया है।

*स्रोतः स्नेपशोट्स ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इन राजस्थान, २००५-०६, योजना विभाग, राजस्थान सरकार।*

## भावी योजना व सुधारात्मक कदम

१. अवरोध समाप्त करना।
२. लक्ष्यांकित लाभार्थियों के संदर्भ में शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, साक्षरता की दर जैसी समस्याओं की स्थिति के संदर्भ में आवश्यक अनुसंधान।
३. संशोधन के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन व मानव संसाधन की समीक्षा।
४. नीतियों या कार्यक्रमों या योजनाओं में समीक्षा के आधार पर सुधार।

रक्षा, दूरसंचार, बिजली, संचार, परिवहन, उद्योग, वाणिज्य जैसे विभागों में उनके खर्च के संदर्भ में निम्नानुसार बातें ध्यान में ली जानी चाहिए:

१. सार्वजनिक खर्च वाले सभी कार्यक्रमों व उनकी प्रवृत्तियों की सूची बनाना।
२. लाभार्थियों व उपभोक्ताओं के लक्ष्यांक समूहों की पहचान करना।
३. पुरुषों व महिलाओं के कार्यक्रम अलग-अलग हैं या नहीं, नहीं तो वह किस हद तक उचित है।
४. महिलाओं की सेवाओं की प्राप्ति सरल करने वाले कदमों में मात्रा या प्राथमिकता तय करने के लिए महिलाओं के पुलिस थानों, महिलाओं के लिए बसों जैसी सेवाओं का विस्तार हो सकता है?
५. इन सेवाओं या कार्यक्रमों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार के तरीके का विश्लेषण। महिलाओं की भर्ती बढ़ सकने के अवसरों की जांच।
६. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के विशेष प्रयास।

मुख्य प्रवाह के इन क्षेत्रों में महिलाकेन्द्री प्रयासों के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हो सकते हैं:

१. महिला उद्यमियों, विधवाओं, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों आदि का बिजली का कनेक्शन देना।
२. औद्योगिक लाइसेंस, व्यापारी भूखंड, पेट्रोल पम्प तथा गैस स्टेशनों आदि के आवंटन में महिलाओं व महिलाओं की सहकारी मंडलियों या स्वयं सहायता समूहों आदि को प्राथमिकता।
३. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में महिलाओं के लिए कोष का आवंटन।
४. जिन औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की संख्या अधिक हो, उन्हें कर में प्रोत्साहन।
५. खासकर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू करने को प्रोत्साहन।
६. राशन की दुकानों, पीसीओ, साइबर कैफे आदि का महिलाओं को आवंटन।
७. महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर में रियायत।

२०००-०१ से जेंडर संवेदनशील बजट की प्रक्रिया को देखने से लगता है कि जो दृष्टिकोण है, वह महिलाओं की जागृति बढ़ाने वाला है। भारत में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का चलन अधिक होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में महिला-पुरुष असमानता काफी है, जो महिलाओं के समुचित विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है। जेंडर संवदेनशील बजट के संदर्भ में कुछ संवेदनशीलता पैदा हो, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में देश कहां जा रहा है, इसका पता चले और किन मुद्दों पर जोर देना चाहिए, यह जानने को मिले।

**पृष्ठ 21 का शेष भाग**

महिला प्रतिनिधियों के साथ ही चर्चा करने का आग्रह रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य भी उन्हें बातचीत करने की अनुमति देते हैं।

सूचना केन्द्र चलाने के लिए तहसील पंचायत कार्यालय में वैध जमीन दी जानी चाहिए, जिससे सरकारी अधिकारी व लोगों के बीच दूरी कम की जा सके तथा प्रत्यक्ष बातचीत की जा सके।

## आगामी जरूरत

गुजरात के विविध प्रदेशों व विविध क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों व कार्यकर्ताओं के बीच उनके अनुभवों का आदान-प्रदान और चर्चा के आधार पर इस दिशा में अधिक प्रभावी साबित हो, इसके लिए निम्न प्रयास करने की जरूरत लगती है:

- बजट की सामाजिक लिंग (जेंडर) आधारित व्याख्या - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का अभियान ऐतिहासिक संदर्भ में स्पष्ट कर करना तथा भूमंडलीकरण व उदारीकरण के बजट निर्माण प्रक्रिया में होने वाले प्रभाव समझाना।
- सामाजिक लिंग (जेंडर) आधारित बजट के मुख्य तत्वों जैसे कि विकास की नई परिभाषा, योजना की मुख्य धारा में जेंडर व न्यायी शासन की जानकारी सरल व स्पष्ट बनाना।
- सरकार व स्थानीय निकायों के गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए गुजरात सरकार, केन्द्र सरकार, पंचायतों के केस स्टडी के आधार पर बजट का विश्लेषण करने की योग्यता स्थापित करना।
- विविध स्तर पर सामाजिक लिंगानुरूप (जेंडर) बजट तैयार करने की क्षमता स्थापित करना।
- इस दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, संगठनों व संस्थाओं की समझ और क्षमता बढ़ाना।

# जेंडर संवेदनशील बजट व विश्लेषणः गुजरात के अनुभव

गुजरात में जेंडर संवेदनशील बजट व विश्लेषण के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न अनुभव रहे हैं। ये अनुभव 'आनंदी' द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यशाला में व्यक्त किए गए। इस कार्यशाला की संक्षिप्त रिपोर्ट यहां प्रस्तुत है। खासकर शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने इस संदर्भ में जो कार्य किया है उसे अनुभव के रूप में व्यक्त किया गया है।

## प्रस्तावना

पिछले दस वर्ष से 'आनंदी' विभिन्न प्रकार के हितधारकों जैसे निर्वाचित महिला सदस्यों, महिला संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं व नेटवर्कों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर विकास की मुख्य धारा में जेंडर दृष्टिकोण लाने के प्रयास कर रही है।

गुजरात के विविध प्रदेशों में जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों में अपने अधिकार पाने की लड़ाई में महिला संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। जल समिति तथा न्याय समिति जैसे ढांचों की रचना कर महिलाएं अपने जेंडर आधारित अधिकार पाने की अगुवाई करती हैं। ऐसे अनुभवों के आधार पर ये प्रयास हो रहे हैं कि पिछले २ वर्षों के दौरान वंचित समुदायों व महिलाओं की सामाजिक लिंग के दृष्टिकोण के साथ जरूरत व प्राथमिकता के अनुसार उनकी भूमिका बढ़े तथा जवाबदेही के लिए कार्यप्रणाली रच कर विविध संस्थागत ढांचे तैयार हों। देश के अन्य भागों में इस कार्य के उदाहरण व पहल के आधार पर हमें ऐसी पद्धतियों व क्षमता वर्धन की अनिवार्यता दिखाई देती है जिसके आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, महिलाओं, संगठनों, संस्थाओं, संसाधन केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं, नेटवर्कों के साथ रह कर जरूरतों को समझें तथा विश्लेषण करें, बजट तैयार करें तथा उसकी प्राथमिकता तय करें। तथा इस तरह धन के आवंटन में अगुवाई कर सकें, जिससे गरीब महिलाओं के विशाल समुदाय के लिए वह लाभदायी बन सकें। इन प्रयासों के अंतर्गत जेंडर बजट और विश्लेषण : जेंडर संवेदनशील न्यायी शासन की दिशा में विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। स्थानीय विकास के मुद्दे पर काम करने वाली संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया तथा इस विषय पर अपने अनुभव बताए।

## गुजरात में हुए कुछ अनुभव

**१. ढांचागत व्यवस्थाः महिला संगठन**

**अनुभवः 'अवाज' संस्था, राधनपुर**

'अवाज' संस्था राधनपुर जिले के पिछड़े गांवों में महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्य करती है। महिला मंडल व महिला संगठन बना कर लोक भागीदारी से गरीब व वंचित समुदायों के लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पा सकें, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। राधनपुर के आसपास के गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र में सरकारी कर्मचारी काफी अनियमित थे। इसमें भी खासकर स्वास्थ्य केन्द्र में नर्सों की गैर-हाजिरी होने के कारण महिलाओं को काफी परेशानी होती थी। इस पर अवाज संस्था के मार्गदर्शन में गांव की महिलाओं ने संगठन बनाया और अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रख सकें, चर्चा कर सकें व मुश्किल का निवारण हो सके, ऐसी स्थिति बनाई। महिला संगठन के सतत प्रयासों के कारण अब नर्सें गांव में ही रहती हैं व स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित सेवा भी देती हैं।

**२. ढांचागत व्यवस्था - जनसुनवाई - खाद्य सुरक्षा अभियान**

**अनुभव : पाटडी महिला संगठन, श्रीमती मंजुलाबेन**

सुरेन्द्रनगर जिले के पाटडी तहसील में कुछ गांवों में आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिए जाने वाला भोजन तथा उसकी सामग्री को लेकर पाटडी महिला संगठन की बहनों द्वारा सूचना एकत्र की गई। इसमें भोजन कम गुणवत्ता वाला, अपर्याप्त साधन सामग्री जैसी समस्याएं पाई गईं। इस पर महिला मंडल की बहनें व गांव के अग्रणी मिल कर जन सुनवाई कार्यक्रम द्वारा सरकारी अधिकारी तक पहुंचे। इसके कारण जिला स्तर पर भोजन की गुणवत्ता सुधारने संबंधी परिपत्र जारी किया गया। अब आंगनबाड़ी व विद्यालय में मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधरी है

तथा अब सरकारी निर्देशों के अनुसार दिया जाता है। उसकी नियमित निगरानी ऐसी वंचित समुदाय की बहनों व गांव के अग्रणियों की बनी समिति द्वारा की जाती है जिनके बच्चे भोजन लेते हैं।

**३. ढांचागत व्यवस्था : महिला सूचना केन्द्र**

**अनुभवः श्रीमती रमीलाबेन बारिया, सूचना केन्द्र, देवगढ़बारिया**

पंचमहाल जिले की घोघंबा तहसील में देवगढ महिला संगठन तथा आनंदी संस्था के संयुक्त प्रयास से सूचना केन्द्र चलाया जाता है। श्रीमती रमीलाबेन बारिया इस सूचना केन्द्र की संचालक हैं। सूचना केन्द्र एक ऐसा ढांचा है, जहां गरीब व वंचित समुदायों तथा खासकर महिलाएं अपनी समस्याएं प्रस्तुत करती हैं, जिसे सूचना केन्द्र सरकार तक पहुंचाता है। सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। इस तरह सूचना केन्द्र लोगों का, लोगों के लिए व लोगों द्वारा चलता एक ऐसा ढांचा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाता है। सरकार के अधिक नजदीक जाने के लिए व सरकार की प्रभाविकता पर ध्यान रखने की व्यवस्था है।

**४. ढांचागत व्यवस्थाः जेंडर रिसोर्स सेंटरः**

**अनुभवः प्रीतिबेन ओझा, निदेशक, जेंडर रिसोर्स सेंटर**

जेंडर रिसोर्स सेंटर गुजरात सरकार द्वारा रचित एक स्वायत्त संस्था है। वह महिला उन्मुखी शासन व नीतिगत योजना तथा धन आवंटन के बारे में सरकार को सुझाव देता है। जरूरत पड़ने पर इस विषय पर सरकार के साथ चर्चा भी करता है तथा हिमायत करता है।

**५. ढांचागत व्यवस्थाः ग्राम पंचायत - आंबवा**

**अनुभवः श्रीमती सविताबेन, सदस्य - आंबला ग्राम पंचायत**

भावनगर जिले की शिहोर तहसील में स्थित आंबला गांव में श्रीमती सविताबेन ग्राम पंचायत की सदस्य हैं। सविताबेन चुने जाने के बाद 'आनंदी' संस्था के सम्पर्क में आईं तथा सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकारों के बारे में जागृत होने व गांव के लिए कुछ करने को कटिबद्ध बनीं। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं व लोगों के सहयोग से गांव में वर्षों पुराने कूड़े के ढेर साफ कराने का कार्य किया। इसके अलावा सुदूरवर्ती लोगों तक पेयजल नहीं पहुंचता था, उनके साथ मिल कर पेयजल की मांग की और पाया। गांव में शराब पीने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। इसलिए ग्राम पंचायत में बार-बार इस पर चर्चा कर के गांव के लोगों ने मिल कर शराब के व्यसनी लोगों को शराब छुड़वाने के लिए प्रयास किए। इस प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गांव की समस्याओं का निराकरण करने वाला ऐसा ढांचा है जो ग्राम स्वराज के सिद्धांत को सार्थक करता है। यह वास्तविकता ग्राम पंचायत आंबला सफलतापूर्वक सिद्ध करता है।

**६. श्रीमती नीताबेन पटेलः**

**कार्यकर्ता - विकलांग लोगों के मुद्दों के लिए**

श्रीमती नीताबेन पटेल कच्छ जिले की निवासी हैं। २००१ के जनवरी में आए भूकम्प में दोनों पैर गंवा देने वाली नीताबेन के लिए जीवन एक संघर्ष बन चुका था। अचानक शारीरिक विकलांगता के कारण वे पराधीन हो गईं। यह बात उनके लिए असह्य होती गई। उन्हें स्कूल जाने में परेशानी होती, जिससे स्कूल छोड़ना पड़ा, परंतु लाचारी भरी स्थिति को स्वीकार कर बैठे रहने की बजाए उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। स्कूल, बैंक, सरकारी कार्यालय व समाज घर जैसे स्थलों पर रैम्प की सुविधा नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी होती। अतः उन्होंने अन्य विकलांग व्यक्तियों को भी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनके बारबार प्रयासों के कारण उनके गांव के स्कूल व सामुदायिक घर में रैम्प बनाए गए। उनके कहे अनुसार विकलांग के लिए पहुंच बड़ी समस्या है। वे कुछ करना चाहते हैं, तो भी उनकी विकलांगता उन्हें निरुत्साहित करती है। एक विकलांग व्यक्ति के रूप में सरकार की ओर से प्राप्य तमाम अधिकार पाने के लिए वे कटिबद्ध हैं और इसके लिए सरकारी प्रशासन को झकझोरती हैं। इसका लाभ नीताबेन ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी उठा सके हैं। इसका सफल व प्रेरक उदाहरण नीताबेन ने समाज के समक्ष स्थापित किया है। समग्र कार्यशाला के दौरान उपस्थित सहभागियों द्वारा गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिमायत के निम्न मुद्दे उठाए गएः

## सुझाव

**१. स्वास्थ्य विभाग**

राधनपुर की महिलाओं की समस्याओं को लेकर कार्यरत अवाज संस्था के अनुभव के आधार पर सरकार के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कम्युनिटी फंड के १०,००० रु. सरपंच व ए.एन.एम. के खाते में बिना खर्च पड़ा रहता है। अतः यदि उसका संचालन ग्राम

स्वास्थ्य समिति (जिसमें ग्राम पंचायत की महिला सदस्य, स्वास्थ्य व पोषण सेवक, दाई बहनें तथा स्वास्थ्य सेवा लेने आने वाले लोग होते हैं) को सौंपा जाए, तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा तथा लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुसार उसका उपयोग हो सकेगा।

**२. लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय**

लोक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालय ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर चढ़ने-उतरने के लिए विकलांग व्यक्तियों को असुविधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा विकलांग अधिनियम-१९९५ के तहत रैम्प की सुविधा स्थापित करने का प्रावधान है, परंतु यदि कोई निश्चित बजट हैड के तहत नहीं आता होने के कारण वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता। इससे काफी उपयोगी व कम कीमत पर मिलने वाली यह सुविधा नजर अंदाज कर दी जाती है। अतः विकलांग अधिनियम १९९५ का योग्य अमलीकरण कर विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर व उनकी सुविधानुसार बाथरूम की सुविधा देनी चाहिए।

**३. शिक्षा विभाग**

पाटडी महिला संगठन की सदस्य श्रीमती मंजुलाबेन तथा मंडल की अन्य बहनों ने अपने आसपास के गांवों के विद्यालयों में किए एक अध्ययन के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना में रसोई बनाने वाली महिलाओं को रसोई के लिए पर्याप्त सामग्री तथा गैस सुविधा नहीं दिए जाने के कारण उनके कार्य का बोझ बढ़ने की बात कही। इससे बहनों का श्रम घटाने के लिए उन्हें गैस सुविधा दे कर नई परम्परा शुरू करने की जरूरत है।

**४. महिला व बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग**

खाद्य सुरक्षा अधिकार अभियान-गुजरात द्वारा हुए एक अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना में रसोई बनाने का काम करने वाली महिलाओं को रसोई के लिए पर्याप्त सामग्री व गैस सुविधा और उचित वेतन नहीं मिलने का प्रभाव भोजन की गुणवत्ता पर पड़ता है। अतः भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए समिति बनानी चाहिए। समिति का प्रतिनिधित्व गांव की वंचित महिलाओं द्वारा होना चाहिए।

**५. सूचना विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग**

स्थानीय स्तर पर जागृत व अल्प शिक्षित/निरक्षर महिला अग्रणी उनके क्षेत्र में विविध विकासोन्मुखी कार्यों के लिए जागृति फैलाने का काम सक्रिय रूप से करती हैं। उनके द्वारा हुए प्रयासों (बैस्ट प्रैक्टिस) का दस्तावेजीकरण तथा उसका प्रचार होना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक लोग निरक्षर होते हैं। अतः पोस्टर जैसा आई.ई.सी. साहित्य कम प्रभावी रहता है। उसकी बजाय ऐसी सक्रिय बहनों के सहयोग से सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इसके लिए महिलाएं जो मजदूरी गंवाएं, उनका उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रकार मिसाल रूपी काम करते लोगों को तहसील, जिला व राज्य स्तर पर पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए।

**६. ग्रामीण विकास विभाग**

आमला ग्राम पंचायत (तहसील शिहोर, जि. भावनगर) की सदस्य सविताबेन पटेल के सुझाव के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का निर्माण कार्य प्लिंथ तक पहुंचने पर सरकार की ओर से धन आवंटित किया जाता है, परंतु गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के पास मकान निर्माण शुरू करने जितनी वित्तीय व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास अलग फंड होना चाहिए। इसमें से जरूरतमंद लोगों को एडवांस रकम दी जा सके। सम्पूर्ण स्वच्छता अभयान के तहत बनाए जाने वाले शौचालयों के बारे में भी इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह लोग सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के रूप में पहचाने गए हैं, जिनके पास शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सुविधा नहीं है।

**७. कृषि विभाग**

४०-५० वर्ष पहले महिला को भी पुरुष समान अधिकार जमीन पर दिया गया है, परंतु ११ महिलाएं ही जमीन का स्वामित्व रखती हैं। इसके कारण खोजने की जरूरत है। गुजरात सरकार द्वारा एकत्र की गई जानकारी का यदि लिंग आधारित वर्गीकरण किया जाए, तो योग्य जानकारी मिल सकती है तथा यह जानकारी जी.आर.सी. और राजस्व विभाग की वेबसाइट पर रखना जरूरी है।

**८. पंचायत विभाग**

देवगढ़ महिला संगठन की सदस्य व सूचना केन्द्र की संचालक रमीलाबेन बारिया के सुझाव के मुताबिक पटवारी व तहसील विकास स्तर के अधिकारियों को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या अन्य परिजनों के साथ बात करने की बजाए

**शेष पृष्ठ 18 पर**

# गतिविधियाँ

## विकलांगता पर राज्य स्तरीय सम्मेलन

गांधीनगर के पास कोबा स्थित प्रेक्षाध्यान अकादमी में १-२ दिसंबर, २००६ को विकलांगता सहभागी सम्मेलन-सामाजिक समावेश के पथ पर आयोजित किया गया। गुजरात के सभी जिलों के करीब ३०० विकलांग हाजिर रहे। वे विभिन्न प्रकार की विकलांगता से पीड़ित थे तथा ग्रामीण-शहरी महिला-पुरुष थे। जिला स्तर पर यह सम्मेलन के लिए पूर्व तैयारियां थीं और इसके परिणामस्वरूप यह सम्मेलन संभव हुआ।

इस सम्मेलन का उद्देश्य व्यक्तिगत क्षमतावर्धन था, जिससे वे नेतृत्व की भूमिका अदा कर सकें। वंचन, भेदभाव और हिंसा की समस्याओं की चर्चा सम्मेलन में विकलांगता के संदर्भ में की गई। गरीबी व निःसहायता पर प्रभावों की चर्चा की गई। इनके प्रभाव न्यूनतम हों, ऐसी रणनीति पर भी चर्चा हुई। अधिनियम, योजनाओं, कार्यक्रमों व सरकार की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं व विकलांग बच्चों की विकलांगता व समस्याओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। दृश्यमानता, व्यक्तिगत विकास, अधिकारिता व आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान दिया गया। नाटक, नृत्य, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, संगीत तथा फैशन शो जैसी प्रवृतियों का सृजनात्मक उपयोग हुआ। हरेक विकलांग व्यक्ति को सम्मेलन में अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिला। १६ विविध विषयों पर उसमें चर्चा की गई, जो जीवंत रही। गुजरात में विकलांगोन्मुखी समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी अमल की दिशा में प्रयास करने का माहौल बनाने का निर्णय किया गया। पत्रकारों के साथ वार्ता भी आयोजित की गई।

## विकलांगता दिवस समारोह

२-१२-०६ को विकलांगता दिवस अलग तरह से मनाया गया। समान व समावेशी समाज के कदम पर इस वर्ष ध्यान केन्द्रित किया गया। 'अवरोधमुक्त गुजरात' पदयात्रा में इस दिन ढाई हजार लोगों ने भाग लिया। उनमें विकलांग, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, पत्रकार, कम्पनी प्रतिनिधि, कॉलेज व स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक, अध्यापक, व्यवसायी आदि शामिल हुए।

गांधी आश्रम से शुरू हुई मैराथन में लगभग १५० लोगों ने भाग लिया। अन्य ४५० लोगों का समूह वस्त्रापुर अंधजन मंडल से कोचरब आश्रम पहुंचा। वहां सभी इकट्ठा हुए। पदयात्रा व मैराथन दौड़ को प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाई। बच्चों, महिलाओं, युवा, वृद्धों सभी में भारी उत्साह था। खासकर विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच का सवाल इस दौरान रोशनी में लाया गया। मीडिया ने इस कार्यक्रम को अच्छी कवरेज दी। कम्पनियों ने टी-शर्ट, कैप्स, पानी आदि मुहैया कराए। पदयात्रा व मैराथन के बाद उन्हें आइसक्रीम भी दी गई। समग्र यात्रा के दौरान बैनर्स तैयार कर संदेश आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। हैंडीकेप इंटरनेशनल द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा विविध गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों ने समर्थन दिया।

## पंचायतों व पालिकाओं के चुनाव स्थगित नहीं रखे जा सकते

देश के उच्चतम न्यायालय ने १९-१०-२००६ के ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी भी स्थिति में पंचायतों व पालिकाओं के चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। पांच न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ

ने अपने फैसले में कहा है - "स्पष्ट है कि राज्य चुनाव आयोग समय पर चुनाव नहीं होने का गैरवाजिब कारण देकर चुनाव टाल नहीं सकता। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव कराना आयोग का दायित्व है। मतदाता सूचियों का सुधार समय पर होना चाहिए। यदि वह समय पर नहीं हो पाता, तो मौजूदा मतदाता सूचियों के अनुसार ही चुनाव कराए जाने चाहिए।"

२००५ के केस नं. ५७५६ में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है। किशनसिंह तोमर ने अर्जी की थी। यह अर्जी अहमदाबाद महानगर पालिका व अन्यों के विरुद्ध थी। मुख्य न्यायाधाशी न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन, न्यायाधीश एस. एस. कापड़िया, सी. के. ठक्कर और पी. के. बालासुब्रमणियन की पीठ ने यह फैसला दिया था। अहमदाबाद महानगर पालिका के साथ प्रतिवादी के रूप में गुजरात सरकार व राज्य चुनाव आयोग भी थे। गुजरात उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ के फैसले के खिलाफ रिट की गई थी।

संविधान की धारा २४३यू के प्रावधान के संदर्भ में यह फैसला दिया गया। फैसले में कहा गया-संवैधानिक प्रावधान दर्शाते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकार चुनाव आयोजन के संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग से बिल्कुल भी कमतर नहीं हैं। तमाम चुनावों पर निगरानी, निर्देश व नियंत्रण के अधिकारों के संदर्भ में तथा मतदाता सूचियां तैयार करने के संदर्भ में और पंचायत व पालिकाओं के चुनाव आयोजन के बारे में राज्य चुनाव आयोग सम्बद्ध राज्य सरकार से स्वतंत्र है।

संविधान की धारा २४३ के (३) के अनुसार फैसले में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग का दर्जा स्वतंत्र है। अर्थात् राज्य चुनाव आयोग को अपने दायित्व निभाने के लिए जो स्टाफ चाहिए, वह राज्यपाल मुहैया कराने में मदद करेंगे। अतः सम्बद्ध राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य चुनाव आयोग के कामकाज में पूर्ण सहयोग व सलाह देगी। अहमदाबाद मनपा में जून-२००५ में दो वार्ड शामिल किए गए और वार्ड संख्या बढ़ कर ४३ से ४५ हो गई। इसीलिए राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार नहीं कर पाया था और चुनाव स्थगित रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह फैसला आया, उससे पहले अहमदाबाद मनपा के चुनाव हो गए।

## विकलांगता अधिनियम में संशोधन के लिए कार्यशाला

विकलांगता अधिनियम-१९९५ को बने १० वर्ष से अधिक समय हो गया। इस अधिनियम के अमल के कई अनुभव रहे हैं। कुछ राज्यों ने दिलचस्पी रखने वाले लोगों और संगठनों को चर्चा के लिए मंच प्रदान किया है। गुजरात में जुलाई व नबंर-२००६ में एक दिवसीय दो कार्यशालाएं विकलांगता आयुक्त, अंधजन मंडल, हैंडीकेप इंटरनेशनल व उन्नति द्वारा आयोजित की गई। इसमें सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा विकलांग व वकीलों समेत ८० सहभागियों ने हिस्सा लिया। अधिनियम के विविध भागों में संशोधन के लिए निम्नानुसार सिफारिशें हुईं:

१. विकलांगता की व्याख्या व्यापक बनाना, अधिनियम के बारे में जागृति लाना तथा प्रमाणन प्रक्रिया सरल बनाना।
२. विकलांगता प्रतिरोध के तंत्र को मजबूत बनाना।
३. शिक्षा: निगरानी की प्रक्रिया सुधारना व अमल करना।
४. रोजगार: सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विकलांग आरक्षण का सख्त अमल करना। समय-समय पर उनका कार्य तय करना, प्रशिक्षण पर जोर देना, वित्तीय समर्थन देना।
५. सभ्य समाज को विकलांगों के समावेश के लिए संवेदनशील बनाना।
६. सकारात्मक कदम : संगठनों के पंजीकरण का तंत्र सुधारना, बीमा व कर के लाभ की योजना बनाना।

एक कार्यकारी समिति का गठन कार्यशाला के अंत में किया गया और उसकी सिफारिशें केन्द्र व राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जाएगी।

कार्यशाला में 'आजाद अस्तित्व' नामक एक फिल्म के विमोचन किया गया। २७ मिनट की इस गुजराती फिल्म का अवरोधमुक्त पर्यावरण स्थापित करने के लिए 'उन्नति' व 'हैंडीकेप इंटरनेशनल' द्वारा निर्माण किया गया है। अवरोधमुक्त पर्यावरण स्थापित करने के लिए जागृति लाने व समझदारी बढ़ाने के लिए यह फिल्म बनाई

गई। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों व विकलांगों को अधिकांशतः यही अवरोध प्रभावित करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से आसानी से घूम-फिर नहीं सकते। ऐसे अवरोधों के बारे में हम जानते ही होते हैं, परंतु कैसे दूर किए जाए, उस पर विचारते नहीं। यह फिल्म निम्न मुद्दों पर कुछ कहती है:

१. अवरोधमुक्त वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है?
२. अवरोधमुक्त वातावरण का किसको लाभ होगा?
३. अवरोधमुक्त वातावरण के लिए नागरिकों के रूप में हमें क्या अधिकार हैं?
४. सभ्य समाज के विविध वर्ग अवरोधमुक्त वातावरण बनाने में क्या योगदान कर सकते हैं?

यह फिल्म अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। प्रति के लिए संपर्क करें उन्नति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सुश्री अर्चना श्रीवास्तव, ई-मेलः inclusion@hi-india.org, डॉ. भूषण पुनानी, ई-मेलः blinabad@sancharnet.in

## सज्जता का संग....लाए खेती में रंग

राज्य के प्राकृतिक संसाधन विकास क्षेत्र में कार्यरत विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के नेटवर्क के रूप में कार्यरत सज्जता संघ द्वारा खेत विकास के एक रेडियो धारावाहिक का निर्माण तथा प्रसारण २३ नवंबर, २००६ से शुरू हुआ है। यह रेडियो धारावाहिक आकाशवाणी अहमदाबाद-वडोदरा व राजकोट स्टेशन से हर गुरुवार रात ८.१५ बजे प्रसारित होता है। इसकी अवधि १५ मिनट है।

**कार्यक्रम का उद्देश्यः**

१. राज्य के संभावित अकाल क्षेत्र में रहने वाले छोटे व सीमांत किसानों को नई खेती पद्धति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
२. खेत विकास के सफल दृष्टांत पेश करना, जिससे किसानों में आंतरिक शिक्षा स्थापित हो। एक किसान के अनुभव का दूसरे किसान को लाभ मिले।

**कार्यक्रम किसके लिएः**

१. प्राथमिक लक्ष्य समूह-राज्य के अकाल संभावित क्षेत्र में रहते छोटे व सीमांत किसान। राज्य के प्रगतिशील किसान व उनके संगठन।
२. गौण लक्ष्य समूह-ग्राम व खेत विकास क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाएं, ग्राम व खेत विकास को लेकर कार्यरत सरकारी अधिकारी।

**कार्यक्रम की विशेषताएंः**

प्रत्येक कार्यक्रम के प्रसारण के बाद सम्बद्ध एपिसोड में पेश की गई सूचना व उसका विश्लेषण श्रोताओं को फोन द्वारा विषय विशेषज्ञ व सफल दृष्टांत पेश कर किसानों द्वारा दिए जाते हैं। इस रेडियो धारावाहिक में निम्न विषय शामिल हैं:

- रबी की फसलों जैसे गेहूं, जीरा, अरंडी तथा सब्जी की बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य मुद्दे।
- रबी मौसम में गेहूं, जीरा व अंतरफसल के रूप में बोई जाने वाली फसलों में किसी किसान द्वारा किए गए नवीनतम प्रयोग व सफल प्रयोग।
- अंतरफसलों के लाभ व महत्व।
- मूंगफली में कीट लगने पर नियंत्रण।
- रबी की मौसम में जल प्रबंधन का महत्व तथा उसके सफल प्रयोग।
- टपक सिंचाई व्यवस्था व फव्वार पद्धति के फायदे व उसके सफल प्रयोग।
- ग्रीष्म फसल में ध्यान रखने योग्य मुद्दे।
- क्षारयुक्त क्षेत्रों मं खेती को लेकर ध्यान में रखने योग्य मुद्दे व सफल प्रयोग।
- कीटनाशकों का उपयोग व उसके निर्माण तथा उपयोग के सरल उपाय।
- बागबानी फसलें व उनकी बुवाई।
- नए बीज व खेत विकास।

- आधुनिक खेती व खेत विकास।
- फसल फेरबदल व उसके सफल प्रयोग।
- वर्मी कम्पोस्ट बनाने की सफल पद्धति व सफल प्रयोग।

## राष्ट्रीय ग्रामीण गृह निर्माण व आवास नीति-२००६: कार्यशाला रिपोर्ट

१ दिसंबर, २००६ को अहमदाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण गृह निर्माण आवास नीति पर स्वैच्छिक संस्थाओं, ग्राम-तहसील-जिला पंचायत के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों व विषय विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। 'उन्नति' संस्था 'बेजिन' नेटवर्क का भाग होने के कारण गुजरात में इस बैठक का आयोजन 'उन्नति' द्वारा किया गया। इसमें बेजिन-इंटरनेशनल की सहयोगी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया मसौदा चर्चा के लिए रखा गया। उस पर हाजिर प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव आधारित सलाह-सुझाव देकर मसौदे की समीक्षा की।

सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को प्राथमिकता के आधार पर आवास प्राप्त हो, जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन मिले। यह देखना हम सबका दायित्व है। साथ ही कल्याणकारी योजना के संदर्भ में उनका यह अधिकार भी है। कमजोर वर्गों तक आवास योजनाएं पहुंचाने के कार्यक्रम लागू हैं, परंतु किन्हीं कारणों से उसके लाभ अंतिम मानव तक नहीं पहुंचते। गरीब को घर दिलाने में पैसे दे दो-वह घर बना लेगा-की नीति के कारण लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। उल्टे रिश्वतखोरी व गलत पद्धतियों का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। आवास सरलता से प्राप्त हो, इसके लिए उनके साथ जुड़े अन्य सवालों की पहचान करना व उनके निवारण की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसके लिए मुख्य सवालों पर ध्यान देना होगा:

(१) घर निर्माण के लिए अनुकूल व पर्याप्त भूमि का आवंटन।
(२) समय पर व वाजिब दर पर घर निर्माण के लिए ऋण व सहायता।
(३) कानूनी ढांचा-नीति नियमों में फेरबदल व एकरूपता।
(४) ग्राम स्तर पर जरूरी ढांचागत सुविधाएं स्थापित करना।
(५) आवास द्वारा रोजगार की प्राप्ति/समन्वय का अभाव।
(६) योजनाओं की जानारी लोगों तक पहुंचाने व योग्य नियमन की प्रक्रिया/पद्धति को बढ़ावा।

१९९८ में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, परंतु वह काफी व्यापक थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों व उनकी जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया, जिससे वह योग्य मार्गदर्शन नहीं दे सकती थी।

इस संबंध में सघन संशोधन किया गया और देश भर में इस कार्य से जुड़े लोगों व नीति-निर्माताओं के साथ सघन विचार-विमर्श किया गया। इससे ग्रामीण परिस्थितियों, उनकी जरूरतों व ग्राम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आवास विकास और जीवन निर्वाह की संभावनाओं को समझा जा सके। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 'बेसिन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ज्ञानमंच' ने भारत की ग्रामीण आवास नीति का एक मसौदा तैयार करने की पहल की। लोकमत प्राप्त करने के लिए देश में १६ राज्यों में राज्य स्तरीय परिसंवाद हुए।

१ दिसंबर, २००६ को गुजरात में आयोजित इसी तरह के परिसंवाद में ७५ लोगों ने भाग लिया तथा यह ९वां राज्य परिसंवाद था। विविध राज्यों से लोक प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए रचनात्मक सुझावों-मंतव्यों का समावेश कर उन्हें सुझाव के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सुपुर्द किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इस दिशा में कार्यरत है। उसने एक विशेष समिति भी बनाई है। विविध प्रक्रिया व परिणामों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है।

गुजरात के संबंध में बात करें, तो हाल में करीब आठ तरह की विविध योजनाएं लागू हैं। उसके द्वारा करीब अस्सी हजार से एक लाख आवासों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके बावजूद योग्य वर्ग तक यह सुविधा नहीं पहुंचने की शिकायतें मिलती हैं तथा मांग में कमी नहीं आ रही। अतः अवरोधों की पहचान करना जरूरी है।

उपस्थित प्रतिनिधियों ने जिन मुख्य समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया तथा सुझाव दिए, वे निम्नानुसार हैं:

(१) गरीब वर्ग के लिए गृह निर्माण की जमीन सुलभ कराने में तेज कदम उठाना जरूरी है। यदि हम उन्हें स्वामित्व नहीं देंगे, तो वे अनिच्छा से अतिक्रमणकारी बनेंगे। इससे जमीन का

नियमन तेजी से किया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम व आश्वासन जिस तरह दिए जाते हैं, उस देखते हुए कानून में सुधार करके इन सेवाओं में तेजी लानी चाहिए। यदि जमीन न हो, तो गामतल बढ़ाने की संभावना देखनी चाहिए।

(२) कमजोर वर्गों के लिए मकान सहायता बहुत कम है। इसमें फेरबदल रकम बढ़ानी चाहिए। किस्त के भुगतान में सरलता लानी चाहिए। अटपटी मंजूरी प्रक्रिया के कारण नौकरशाही बढ़ती जाती है। भ्रष्टाचार को अंकुश में लाने वाली पद्धति लागू हो।

(३) आवास निर्माण प्रक्रिया को मात्र घर निर्माण के रूप में नहीं, बल्कि एक बस्ती निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इसमें एक बस्ती के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं देनी चाहिए। इससे मकान निर्माण प्रक्रिया विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा बन सकता है।

(४) राज्य सरकार को इन योजनाओं को मात्र कल्याण के दृष्टिबिंदु से नहीं, बल्कि अधिकार के परिप्रेक्ष्य में स्वीकारना चाहिए। सूचना के अधिकार के उपयोग से लोगों द्वारा ही उसका नियमन हो, इस पर जोर देना चाहिए। लोगों तक सरल रूप से तमाम स्तर की सूचना पहुंचानी चाहिए।

(५) ग्राम पंचायत को सक्षम बना कर उसके माध्यम से ही गांवों का विकास प्लान तैयार होना चाहिए। इसमें पंचायतों को शामिल कर गांव की आवास निर्माण योजना का आयोजन होना चाहिए। ऋण देने वाली संस्थाओं से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करने तथा राज्य सरकार उसके भुगतान की जिम्मेदारी स्वीकारे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

(६) कम खर्च पर, पर्यावरणलक्ष्यी टेक्नोलॉजी का उपयोग आवास प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली पद्धति खोजनी होगी। इसका निदर्शन करते रहना पड़ेगा तथा निर्माण मजदूरों को सतत प्रशिक्षित करते रहना होगा। इसके अलावा पर्यावरण पर जोखिम न बढ़े, पंरतु काम तेजी से हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ सावधानियों व शर्तों के साथ जोड़ा जा सकता।

(७) ऋण दाता बैंकों संस्थाओं को ध्यान रखना होगा कि वे विकास प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। घर तो एक साधन है। अतः मात्र वसूली क्षमता को ही मुख्य मानदंड नहीं बनाना चाहिए। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। उनके ऋण के लंबी अवधि के अनुभवों को रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना जरूरी है, जिससे पूरी व्यवस्था और कम खर्चीली मैनेजेबल हो सके।

इसके अलावा कई सुझाव योजनाओं को व्यावहारिक स्वरूप देने व संस्थाओं/सरकार व विशेषज्ञों की भूमिका से सम्बद्ध भी थे। कुल मिला कर लोगों को इन समस्याओं से बाहर लाया जा सका और नीतिगत मामलों के बारे में प्रतिभाव दिए जा सके।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्कः सुश्री मोना छाबड़ा-प्रतिनिधि, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, नई दिल्ली, ई-मेलः basin@devalt.org तथा उन्नति।

## स्वैच्छिक संस्थाओं की मान्यता के लिए आमंत्रण

### लोक विकास व स्वैच्छिक संस्था

समाज का विकास हो या विकास प्रक्रिया के लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाना हो, लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने, सामाजिक न्याय व समानता को प्रस्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संस्था या स्वैच्छिक संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विविध क्षेत्रों में विशिष्ट पहल व प्रयोग कर स्वैच्छिक संस्थाओं ने गरीबी घटाने व वंचितों को समानता की ओर ले जाने के लिए उल्लेखनीय कार्यवाही की है, जिसके फलस्वरूप समाज के विकास के विविध मॉडल तथा नवीन रणनीतियां भी समाज व सरकार को मिली हैं।

### स्वैच्छिक संस्था व मान्यता की आवश्यकता

समाज तथा राष्ट्र विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए हाल में विश्वसनीय व आधारभूत रेटिंग (मूल्यांकन) पद्धति नहीं है, जिसके द्वारा अच्छी व प्रमाणिक संस्थाओं को निष्कर्षित किया जा सके तथा संदिग्ध संस्थाओं को हटाया जा सके। इस कारण कभी-भी अच्छा कार्य करती संस्थाओं

## रेटिंग कैसे होगी

सज्जता संघ रेटिंग कराने की इच्छुक संस्था के विविध दस्तावेजों का मूल्यांकन कर उसे तय मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत करेगा। इन मानदंडों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

| क्रम | अंको की श्रेणी (प्रतिशत में) | प्रस्तावित ग्रेड | ग्रेड का अर्थ |
|---|---|---|---|
| १. | ६० प्रतिशत से अधिक | ए | जो संस्थाएं अपने संचालन व पारदर्शिता के संतोषजनक मानदंड रखती हो, उनका समावेश ए ग्रेड की संस्था के वर्गीकरण में होगा। |
| २. | ५० से ६० प्रतिशत के बीच | बी | जो संस्था इच्छित मानदंडों से कुछ नीचे ग्रेड पर हो तथा कार्यक्रम के आयोजन की क्षमता के बारे में अपेक्षित मानदंड रखती हो, तो भविष्य में उसके बारे में पुनर्विचार हो सकेगा। |
| ३. | ५० प्रतिशत से कम | सी | संचालन व पारदर्शिता के संतोषजनक मानदंड न हो, ऐसी संस्थाएं। |

को भी संदिग्ध संस्था की नजर से देखने का कुछ लोगों को मौका मिल जाता है। इसके अलावा अच्छा काम करती संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने वाली फंडिंग एजेंसियां भी उलझन की अनुभूति करती हैं कि कौनसी संस्था उनके धन का अधिक प्रभावी उपयोग करेगी और कौनसी संस्था धन का दुरुपयोग करेगी। इस कारण विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। गुजरात व आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अच्छी स्वैच्छिक संस्थाओं को चयन करने की पद्धति बनाई थी, परंतु वह कार्यशैली सफल नहीं हो सकी क्योंकि सरकारी प्रशासन पर बाहुबली लोगों की ओर से दबाव आता है।

### स्वैच्छिक संस्था को मान्यता की पहल

इस स्थिति से निकलने का एक मार्ग है कि स्वैच्छिक संस्थाओं का भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन हो, जिससे सरकार व फंडिंग एजेंसियों को प्रभावी स्वैच्छिक संस्था के चयन में सरलता रहे। इस कारण ऐसी सर्वस्वीकृत, समर्थ व स्वतंत्र व्यवसाय की जरूरत लगती है, जो संस्थाओं को मान्यता देने का काम देखे तथा वह सरकार व दाता संस्था के लिए स्वीकृत हो। स्वैच्छिक संस्थाओं के मूल्यांकन को लेकर एक परिसंवाद सज्जता संघ द्वारा २२ अप्रैल, २००६ को आयोजित किया गया। परिसंवाद में योजना आयोग, केन्द्र व राज्य सरकार के उच्चाधिकारी समेत स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। फलतः स्वैच्छिक संस्थाओं का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा रेटिंग हो, उस बाबत को स्वीकारा गया।

### प्राकृतिक संसाधनों के विकास से जुड़ी संस्थाओं को मान्यता (एक्रेडिटेशन) के लिए निमंत्रण

सज्जता संघ ने राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की रेटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल की है। इसके तहत सज्जता संघ राज्य के प्राकृतिक संसाधन विकास क्षेत्र में कार्यरत विविध स्वैच्छिक संस्थाओं से रेटिंग कराने संबंधी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। राज्य में पानी, जमीन, जंगल व पशुपालन क्षेत्र की विविध स्वैच्छिक संस्थाओं को एक्रेडिटेशन के लिए आमंत्रण है। यह प्रक्रिया व्यवसायिक स्तर पर कराई जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ग्रामीण प्रबंध संस्थान-आणंद (इरमा) के दो विशेषज्ञों व सज्जता संघ के एक प्रतिनिधि रेटिंग देने की प्रक्रिया से जुड़े होंगे।

### रेटिंग कराने के फायदेः

१. संस्था के रेटिंग से समाज, सरकार व फंडिंग एजेंसी में संस्था के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी।
२. रेटिंग कराने से संस्था से फंडिंग पाने के विकल्प बढ़ेंगे।
३. रेटिंग से सम्बद्ध संस्था को अपने प्रबंधन व संचान की क्षमता और कमजोरी का परिचय होगा।

रेटिंग कराने की इच्छुक संस्थाओं को सादे कागज पर अर्जी करनी होगी। इस अर्जी के साथ संस्थाओं को निम्न दस्तावेज देने होंगेः १. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र। २. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट। ३. गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों की सूची व उनके अनुभव आदि की जानकारी।

नीचे ग्रेड के तहत वर्गीकृत संस्था का जरूरी विश्लेषण कर उसे सज्ज करने के क्षमतावर्धन के प्रयास सज्जता संघ व अन्य नेटवर्क द्वारा किए जाएंगे।

अर्जी भेजने का पता: सज्जता संघ, डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, मारु तिनंदन विला, गवर्नमेंट ट्यूबवेल के सामने, बोपल, अहमदाबाद-३८१००५८ फोन नं. ०२७१७-२३५९९४, २३५९९५, २३५९९७, फैक्स नं. २३५९९७

# भावी कार्यक्रम

## रोजी-रोटी लोक अभियान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने लोगों के अन्न अधिकार व काम के अधिकार को पुन: मजबूत बनाया है। अंतिम एक वर्ष से आनंदी, देवगढ़ महिला संगठन और पानम महिला संगठन पंचमहाल जिले के राहेरा, घोघंबा व कालोल तालुकों में तथा दाहोद जिले के देवगढ़बरिया तालुका में क्षमतावर्धन का काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इस संदर्भ में फरवरी-२००७ में १५ दिन के लिए रोजी-रोटी लोक अभियान के तहत एक पदयात्रा आयोजित की गई है। इसके तहत तालुका स्तर का अधिवेशन ८-२-०७ को देवगढ़बारिया में और पंचमहाल के गोधरा में जिला स्तर का अधिवेशन ९-२-०७ को होगा।

इस पदयात्रा के दौरान निम्न प्रवृत्तियां की जाएंगी:

(१) पोस्टर, बैनर, दीवार पर लिखान, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जागृति लाई जाएगी।

(२) पंजीकरण के लिए अर्जी, कार्य की मांग, जॉब कार्ड प्राप्ति, भुगतान नहीं किए वेतन की मांग आदि।

(३) ग्राम सभा

(४) बच्चों के अन्न अधिकार के बारे में अभियान।

(५) ग्रामीण स्तरीय सतर्कता समिति की नियुक्ति करना तथा कार्य पर निगरानी करना।

(६) लोगों की स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य जरूरतों की जांच करना।

(७) ग्राम सभा में गांव की योजना गरीबों को ध्यान में रख कर तैयार करना।

(८) जो काम किया जाए, उसका सामाजिक ऑडिट करना।

(९) खाद्य सुरक्षा की योजनाओं के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत घोषणाएं।

(१०)गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले परिवारों की सूची जारी करना, यदि सूचना अपर्याप्त हो, तो अर्जी करना।

(११) सभी नई धरोहरों के बारे में जानकारी दर्शना।

सूचना के लिए गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से सम्पर्क साधा गया है। जो अधिवेशन आयोजित हुए हैं, उनमें समुदाय के प्रतिनिधि, पंचायत सदस्य, अधिकारी, संशोधक, विद्वतजन, पत्रकार आदि हाजिर रहेंगे। सम्पर्क: ई-मेल: anandi20@hotmail.com फोन: ०२६७८-२२०२२६, २२१०९७

### शिक्षा, जीवन निर्वाह व कौमवाद पर सम्मेलन

१९ से २१ फरवरी, २००७ के दौरान अहमदाबाद में एक सम्मेलन होगा, जिसका विषय है वैश्वीकरण के युग में शिक्षा, जीवन निर्वाह व कौमवादी फासीवाद। इसका आयोजन नेशनल एलायंज फॉर राइट टु एज्युकेशन एण्ड इक्विटी (नाफ्रे) कर रहा है। यह गठबंधन शिक्षा में समता व कार्य के अधिकार जैसे दो महत्व के मुद्दों को लेकर लोक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। वह प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर दिलाने व जीवन निर्वाह अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए कार्यरत है।

इस अधिवेशन में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल में जो राजनीतिक स्थित है, उसकी समीक्षा की जाएगी। शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए किए गए संघर्ष की भी सम्मेलन में समीक्षा की जाएगी। इसमें एलायंज के ढांचे के बारे में चर्चा होगी और आंदोलन को मजबूत बनाने के पहलुओं पर चर्चा होगी।

सम्पर्क: श्री करण त्यागी, राष्ट्रीय संयोजक, एल-१६-ए, तलघर, कालकाजी, नई दिल्ली-११००१९, फोन: ०११-४१६००४३४-३५-३७-३९, फैक्स नं. ०११-४१६००४३८, ई-मेल: nafredel@rediffmail.com वेबासाइट: www.nafreindia.org

पिछले तीन माह के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्न प्रवृत्तियां की गईं:

## १. सामाजिक समावेश व सक्षमता

### दलित अधिकार

पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में १२ दलित संदर्भ केन्द्रों द्वारा जो 'दलित अधिकार अभियान' चलाया जाता है, उसकी रणनीति स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को प्रोत्साहन देने के लिए मजबूत की गई है। प्रत्येक खंड में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की बनी एक केन्द्रीय संचालन समिति गठित की गई है। श्री गणपतलाल मेहरा (आईडीईए) समिति के अध्यक्ष हैं व अन्य कार्यो के लिए विविध उप समितियां बनाई गई हैं। पिछले तीन माह के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव के दो मामलों में, अत्याचारों के चार मामलों (जिसमें दो मामले महिलाओं पर हिंसा के थे) में तथा जमीन पर अतिक्रमण के छः मामलों को उठाया गया है। राजस्थान सरकार के प्रयास जयपुर के राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड के सहयोग में पश्चिम राजस्थान में दलितों के जीवन निर्वाह की पद्धति में बदलाव के बारे में एक अध्ययन किया गया। दलितों को पानी मिले इसके लिए लघु स्तरीय आयोजन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा उसके बाद ४ गांवों में लघु स्तरीय आयोजन की कार्यवाही की गई। अकाल राहत कार्य की पैरवी पैरवी हेतु आवंटन की प्रक्रिया समझने के लिए तथा उस पर प्रभाव डालने की रणनीति के लिए की गई। बाड़मेर में हमारे सहयोगी संगठनों के सहयोग से बाढ़ राहत कार्यक्रम के बाद २०१ परिवारों के लिए स्थायी आवासों के निर्माण की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

### मुख्य प्रवाह में महिलाएं

विकास के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति प्रतिभावात्मक बजट एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन हमारी आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया। कार्यशाला में एसडीसीएचओ की सलाहकार सुश्री वेरोनिक हलमान ने मार्गदर्शन दिया। इसमें सरकार, गैर-सरकारी संगठनों व अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के २५ प्रतिनिधि हाजिर रहे। कार्यशाला के दौरान सुझाव दिया गया कि गैर सरकारी संगठनों व सरकार के प्रतिनिधियों के बीच समझ स्थापित करने के लिए नियमित बैठकें होनी चाहिए।

### विकलांगता

'हैंडीकेप इंटरनेशनल' व 'सामर्थ्य' (नई दिल्ली) के सहयोग से अहमदाबाद व दिल्ली के २० सहभागियों के लिए अवरोधमुक्त पर्यावरण स्थापित करने के तकनिकी पहलुओं के बारे में एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें स्थपतियों, आयोजकों, डिजाइनरों व सिविल इंजीनियरों ने भाग लिया। अहमदाबाद में आयोजित ग्रामीण आवास संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशाला में ग्रामीण आवास के विविध पहलुओं में पहुंच के लक्षणों शामिल करने के बारे में जरूरी जानकारी दी गई।

### विपत्ति के मुकाबले की तैयारी

कच्छ में बनियारी तथा भुजपुर गांवों में आपदा के मुकाबले की समुदाय-आधारित तैयारियों के लिए गुजरात की इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से लाखरा, बनियारी, भुजपुर व बंधडी गांवों के स्वयंसेवकों के लिए दो-दिवसीय एक निवासी तालीम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य ५० सहभागियों को आपदा के मुकाबले की तैयारी व सतर्कता की स्थिति में प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी देना था। वोंघ गांव के लाखरापरा की कशीदाकारी करने वाली ५० महिलाओं के लिए ५० दिवसीय एक उत्पाद कार्यशाला हुई। इसका उद्देश्य उनकी कुशलता बढ़ाना था। भचाऊ के नंदगाम, नवागाम व मोरगर गांव के स्वयं सहायता समूहों के १६ सदस्यों के लिए सेवा की विविध इकाइयां देखने का एक शैक्षणिक प्रवास आयोजित किया गया।

## २. नागरिक नेतृत्व व शासन

### ग्रामीण

गुजरात में १०-१२-२००६ को ग्राम पंचायत चुनाव हुए। इससे पहले अहमदाबाद, साबरकांठा, कच्छ तथा जामनगर जिलों की छह तहसीलों में सभ्य समाज के संगठनों के सहयोग से मतदाता जागृति अभियान चलाया गया। लोगों को उनके मताधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए विविध रणनीतियों का उपयोग किया गया। नागरिक नेताओं के प्रादेशिक स्तर के नेटवर्क्स को समुदाय स्तर पर किस तरह बैठकें आयोजित करना, इस बारे में अभिमुख किया गया, जुलूस निकाले गए, योग्य उम्मीदवारों के चुनाव के महत्व दर्शाने वाली पोस्टर भी लगाए गए, उम्मीदवारों की प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई तथा हमारे नियमित समाचार पत्र पंचायत जगत में ग्रामीण शासन संबंधी समस्याओं को शामिल किया गया और ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी नियमों व कार्यवाहियों की जानकारी उसमें दी गई। साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर, विजयनगर, ईडर व मोडासा तहसीलों की ४० ग्राम पंचायतों के १५० नागरिक नेताओं को सूचना अधिकार कानून तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के प्रावधानों व उनके अमल में नागरिकों की भूमिका के बारे में बताया गया। इसके अलावा हाल ही में बने घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों सहित अन्य मामलों को लेकर ३० महिला नेताओं के लिए खास अभिमुखता कार्यक्रम किया गया। 'राज्य ग्राम विकास संस्थान' (एसआईआरडी) के सहयोग से पंचायत की वित्तीय व्यवस्था व सुशासन के बारे में सैटकॉम की मार्फत राज्य की ८००० पंचायतों के लिए दो दिवसीय एक अभिमुखता कार्यक्रम किया गया।

राजस्थान में जोधपुर जिले में ८ तहसीलों में ८ 'पंचायत संसाधन केन्द्र' कार्यरत हैं। शेरगढ़ व बालेसर तहसील में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए तहसीलों स्तरीय बैठकें हुईं। इनमें संसाधन समूह के सदस्यों, पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों व जिला पंचायत अध्यक्ष आदि विविध हितधारकों ने हिस्सा लिया। स्टाफ व पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमतावर्धन के लिए शैक्षणिक सामग्री का विपुल मात्रा में सृजन किया गया। इसके अलावा साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण चालू है तथा स्वराज पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। ग्राम सभा के बारे में दो फिल्में, पंचायती राज कानून के व्यवहारिक पहलुओं को लेकर मैन्युअल तथा पश्चिम राजस्थान में पंचायती राज की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

### शहरी

गुजरात में नगर पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सुधारने के लिए धोळका व खेडब्रह्मा नगर पालिकाओं के लिए सफाई की सेवाओं पर निगरानी रखी गई। सम्बद्ध नगर पालिका के लिए सेवा आपूर्ति प्रशासन कैसा है, उसके बारे में जानकारी एकत्र की गई तथा वह सूचना सेवा सुधारने के विकल्प पर विचार के लिए समुदाय को दी गई। धोळका व खेडब्रह्मा नगर पालिकाओं में नागरिकों को उने परिवार में होने वाले जन्म-मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित यिा जाता है। खासकर घुमंतू जाति के लोगों व दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह कार्य किया जाता है। जी.यू.डी.सी. वेरावळ नगर पालिका के लिए एक अध्ययन पत्र तैयार किया गया है। इसमें नगर विकास योजनाओं में असहाय वर्गों का समावेश करने का प्रशासन को सुझाव दिया गया है।

जोधपुर में शहरी संसाधन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा असहाय समूहों व बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में प्राथमिक सूचना एकत्र की गई है। जोधपुर में एक दिवसीय परिसंवाद में ४० हितधारकों ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन पर चर्चा की। बाद में इन मुद्दों पर प्रिया के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय परिसंवाद में चर्चा हुई।

राजस्थान के ४ विभिन्न प्रदेशों में चार जिलों जोधपुर, टोंक, बांसवाडा तथा झुंझुनूं में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता की मजबूती विषय पर एक कार्यलक्षी संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य परामर्श, क्षमतावर्धन तथा हिमायत द्वारा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। एक दिवसीय एक कार्यशाला में इस अध्ययन पद्धति पर चर्चा हुई। इसमें दाता संस्थाओं, विद्या जगत की संस्थाओं, सरकार व सभ्य समाज के संगठनों के प्रतिनिधि हाजिर रहे तथा उन्होंने विविध सुझाव दिए।

**पृष्ठ 1 का शेष भाग**

ऐसा करते समय यह भी परखना ज़रूरी है कि बजट व्यवस्था द्वारा पुरुषों व महिलाओं के बीच असमानताएं कुछ कम हुई या नहीं और हुई तो किस-किस प्रकार से।

जेंडर संवेदनशील बजट के तहत अनेक प्रक्रियाओं तथा साधनों का प्रयोग करके महिलाओं व पुरुषों के विभिन्न समूहों पर सरकारी बजट के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करते समय समाज तथा अर्थव्यवस्था में गहन रूप से प्रवर्तमान जेंडर आधारित संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। अब सभ्य समाज की संस्थाएं भी महिलाओं एवं पुरुषों पर सामाजिक विकास के बजट के प्रभाव की जांच व विश्लेषण करने का प्रयास कर रही हैं। अतः जेंडर संवेदनशील बजट द्वारा नीति तथा उसके क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध संसाधनों के बीच फर्क को पहचान कर उसे प्रकाशित करने का प्रयास किया जाता है ताकि सार्वजनिक धन इस प्रकार से खर्च किया जाए कि जेंडर समता के लक्ष्य को बढ़ावा मिल सके।

सूचना के इस युग में जितनी अधिक सूचना दी जाए उतना ही समाज सशक्त बनता है। अतः नागरिक जागरूकता के लिए जेंडर संवेदनशील बजट पर चर्चा करना लाभदायक सिद्ध होगा और केवल जागरूक नागरिक ही पूर्ण रूप से सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं।

आज की स्थिति में, देश में तथा राज्य में, स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से लोक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु संस्थापित पद्धति उपलब्ध है। इसके ज़रिये महिलाएं एवं पुरुष दोनों अपनी मांगों को सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि महिलाएं ग्राम सभा में सहभागी बनें व अपना योगदान दें तथा अपनी ज़रूरतों के साथ-साथ विभिन्न वंचित वर्गों की ज़रूरतों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करें। विशेष रूप से ऐसे लोग जो किसी कारणवश अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं तथा जागरूक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मूलभूत हिस्सा नहीं बन पाए हैं। महिलाएं ऐसा करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि वे मुद्दों को गहनता से समझती हैं। यह पहला स्तर है जहां ग्रासरूट (स्थानीय स्तर) पर ही जेंडर संवदेनशील बजट पर कार्य करना संभव है।

दूसरे स्तर पर, ग्रासरूट पर जेंडर समता संबंधी नीति के क्रियान्वयन के लिए मांग उठाई जा सकती है। गुजरात में सन् २००६ में जेंडर समता नीति बनाई गई। इस नीति के दो भाग हैं। प्रथम भाग में नीति के ध्येय, सिद्धांत व मार्गनिर्देश दिए गए हैं। नीति के दूसरे भाग में कार्य योजना, उसकी समय अवधि, अमलकर्ता संस्थाओं के नाम तथा नोडल अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सरकारी स्तर पर जेंडर संवदेनशील बजट के विश्लेषण प्रक्रिया के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है हालांकि इस भाग को अक्सर नीति का हिस्सा नहीं माना जाता है।

तीसरा स्तर प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन से संबंधित है। हमारे देश में इस पहलू को प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिसके फलस्वरूप सरकारी अधिकारी तथा नागरिकों को नए प्रयासों की जानकारी नहीं मिल पाती और न ही वे देशभर तथा अपने आस-पास हो रही पहल से सीखकर नए प्रयासों को करने के लिए उत्साहित हो पाते हैं। उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती और लोग कुछ नया करने के लिए सशक्त महसूस नहीं करते हैं। मेरी राय में जेंडर संवेदनशील बजट के लिए भी तमाम स्तर पर व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है, फिर भले ही वह सरकार हो या अन्य कोई विकासोन्मुख संगठन हो, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है।

अंत में, मैं इस बात पर विशेष ज़ोर देना चाहूंगी कि अलग-अलग स्तर पर कई नीतियां, नियम, कानून तथा निर्देश बनाये जाते हैं। अक्सर जिनके लिए ये नीतियां आदि बनाई जाती हैं उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन में भी इस समूह की भूमिका सीमित होती है अतः अपेक्षित परिणामों को हासिल करना कठिन होता है। अतः जेंडर संवदेनशील बजट की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने से पहले यह जरूरी है कि हम संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करें, उनकी राय जानें तथा भविष्य की कार्य योजना तय करते समय उन्हें सहभागी बनने का पूर्ण अवसर दें। गुजरात सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में कई बैठकों का आयोजन किया गया है जिनमें यह चर्चा की गई कि सरकारी विभागों को अपने बजट को जेंडर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करने हेतु किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रथम कदम के रूप में १० विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस विषय के बारे में अभिमुख किया गया है। इस सामयिक में जेंडर संवेदनशील बजट के विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और इस प्रक्रिया को व्यवहार में लाने तथा उसे संस्थागत स्वरूप देने विविध स्तरों पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनका वर्णन किया गया है।

***योगदानः सुश्री अनीता करवल, महानिदेशक (आई.ए.एस.), सरदार पटेल लोक प्रशिक्षण संस्थान (स्पीपा), अहमदाबाद***

उन्नति

**उन्नति**

**विकास शिक्षण संगठन**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

**डिज़ाइनः** रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही

**मुद्रकः** बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-26441967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।